उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02
ई–पत्रावली संख्या–19069
देहरादूनः दिनांक 30 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड के कुमांऊ मण्डल में गोला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध बहुउद्‌देशीय परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्यों हेतु "जमरानी बांध बहुद्‌देशीय परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति–2022" को अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 29-11-2022 14:13:40

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई–पत्रावली संख्या–19069/2022, तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
4. निजी सचिव–मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर।
8. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून "जमरानी बांध बहुद्‌देशीय परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन नीति–2022" की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडीसीसी, यमुना कालोनी, देहरादून को "जमरानी बांध बहुद्‌देशीय परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन नीति–2022" की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को "जमरानी बांध बहुद्‌देशीय परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन नीति–2022" की प्रति इस आश्य से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 29-11-2022 17:54:27

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

I/76046/2022

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2022

उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड सरकार।

I/76046/2022

विषय सूची

संकेताक्षर सूची....2
परिभाषाएं....3
1. प्रस्तावना....4
2. भूमि अध्याप्ति आवश्यकता एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रभावों का विषय क्षेत्र....5
भूमि अध्याप्ति आवश्यकता का प्रकार एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रभावों का विषय क्षेत्र....5
3. नीति के उद्देश्य....6
4. विधिक ढांचा....6
4.1 भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013....6
4.2 अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006....7
4.3 वन पंचायत अधिनियम, 1931....7
4.4 विद्युत पारेषण लाइन हेतु विधिक ढांचा....7
4.5 जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की पुनर्वास नीति के सिद्धान्त....9
5. परियोजना अधिकार....11
5.1 बांध एवं जलाशय घटक हेतु अधिकार ढांचा....11
5.2 पुनर्वास स्थल पर अवंसरचनात्मक सुविधाएं....18
5.3 सिंचाई नहर घटक हेतु अधिकार ढांचा....19
5.4 विद्युत पारेषण लाइन घटक हेतु अधिकार ढांचा....22
6. लोक परामर्श एवं सहभागिता....24
7. कियान्वयन व्यवस्था....25
8. अनुश्रवण और मूल्यांकन....25

I/76046/2022 संकेताक्षर सूची

उ0स0	उत्तराखण्ड सरकार
ज0बा0ब0परि0	जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना
कि0मी0	किलो मीटर
के0वी0	किलो वोल्ट
एम0	मीटर
एम0सी0एम0	मिलियन घन मीटर
एम0यू0	मिलियन यूनिट
एम0डब्लू0	मेगावाट
पी0आई0ए0	परियोजना क्रियान्वयन ईकाई
पी0सी0सी0	परियोजना समन्वय समिति
पी0आई0यू0	परियोजना क्रियान्वयन ईकाई
पी0आई0यू0जे0	परियोजना क्रियान्वयन ईकाई जमरानी
पी0एम0ए0वाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पी0एम0यू0	परियोजना प्रबन्धन ईकाई
आर एण्ड आर	पुनर्वास एवं पुनर्व्यवास्थापन
आरएफसीटीएलएआर	भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013
आर0एल0	रिडूस्ड लेवल
आर0ओ0डब्लू0	रास्ते का अधिकार
एस0आई0ए0	सामाजिक समाघात मूल्यांकन
एस0सी0 / एस0टी0	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
यू0आई0डी0	उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग
यू0जे0वी0एन0एल0	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड
यू0के0एस0डी0एम0	उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन
यू0पी0सी0एल0	उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
यू0पी0डी0सी0सी0	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम

I/76046/2022 परिभाषाएं

विवरण	इस नीति के प्रयोजन हेतु परिभाषा
श्रेणी 1 प्रभावित परिवार	डूब क्षेत्र में निवासरत भूमि धारक परिवार जो भौतिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं अथवा परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत भूमि धारक परिवार जो गंभीर रुप से प्रभावित हैं।
श्रेणी 2 प्रभावित परिवार	भूमि धारक परिवार जो भूमि खो रहे हैं परन्तु डूब क्षेत्र अथवा परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत नही हैं। अथवा परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत भूमि धारक परिवार जो आंशिक रुप से प्रभावित हैं।
श्रेणी 3 प्रभावित परिवार	गैर भूमि धारक परिवार जो डूब क्षेत्र में निवासरत हैं तथा भौतिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं। अथवा श्रेणी 1 के परिवार का व्यस्क व्यक्ति जो किसी भी लिंग का हो एवं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम में पृथक प्रभावित परिवार परिभाषित है।
श्रेणी 4 प्रभावित परिवार	गैर भूमि धारक परिवार जैसे कृषि एवं व्यवसायिक किरायेदार, बंटाईदार एवं पट्टेधारक जो प्रभावित हैं परन्तु विस्थापित नहीं हैं।
आघात योग्य परिवार	गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रभावित परिवार (बी0पी0एल0 कार्ड धारक अथवा राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित), भूमिहीन परिवार, वयोवृद्ध मुखिया परिवार (एकमात्र आय अर्जक), महिला मुखिया परिवार (प्राथमिक आय अर्जक), अनाथ, अनुसूचित जाति/जन जाति परिवार तथा भूमि के गैर शीर्षक धारक परिवार (पट्टाधारक/किरायेदार/बटाईदार एवं अन्य गैर शीर्षक धारक)।
कट ऑफ दिनांक	प्रतिकर हेतु पात्रता एवं सहायता हेतु भूमि धारक परिवारों हेतु कट ऑफ दिनांक आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 11 की अधिसूचना की तिथि होगी। गैर शीर्षक धारक परिवारों की पात्रता हेतु कट ऑफ दिनांक परियोजना जनगणना सर्वेक्षण अथवा सम्बन्धित घटकों हेतु विस्तृत मापन सर्वेक्षण की तिथि होगी।
डूब क्षेत्र	बांध के अपस्ट्रीम में बांध शीर्ष तक की भूमि जो 765.60 मीटर के आरएल तक है डूब क्षेत्र की सीमा होगी।
गंभीर प्रभाव	परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत भूमि धारक परिवार जो अपनी 50 प्रतिशत या अधिक भूमि परियोजना हेतु खो रहे हैं।
आंशिक प्रभाव	परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत भूमि धारक परिवार जो अपनी 50 प्रतिशत से कम भूमि परियोजना हेतु खो रहे हैं।
अन्य परिभाषाएं	इस पुनर्वास नीति में प्रयुक्त अन्य पद आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अध्याय 1 की धारा 3 के अनुरूप परिभाषित होंगें। (https://dolr.gov.in)

I/76046/2022

1. प्रस्तावना

(1) जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल में रामगंगा नदी की सहायक गौला नदी पर बांध का निर्माण प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय परियोजना होने के कारण परियोजना के मुख्य घटक निम्नवत हैं।

- जलाशय: इस घटक के तहत गोला नदी में जमरानी नामक स्थान पर काठगोदाम स्थित गोला बैराज से 10 कि0मी0 अपस्ट्रीम में 150.60 मीटर उंचाई का कंक्रीट ग्रैविटी बांध का निर्माण सम्मिलित है।

- सिंचाई नहर निर्माण एवं पुनरोद्धार: इस घटक के अन्तर्गत 168.62 कि0मी0 लम्बाई की नहरों का पुनरोद्धार/पुनर्निमाण, 21.00 कि0मी0 लम्बाई की नई नहरों के निर्माण के साथ-साथ 278.24 कि0मी0 लम्बाई के वाटर कोर्सेस का निर्माण सम्मिलित है।

- पेयजल आपूर्ति: इस घटक के तहत हल्द्वानी शहर को वर्ष 2051 की आंकलित जनसंख्या हेतु 42. 70 एम0सी0एम0 की पेयजल आपूर्ति किये जाने का प्राविधान है।

- जल विद्युत उत्पादन (14 मे0वा0) एवं ट्रांसमिशन: इस घटक के तहत बांध के तली पर डाउनस्ट्रीम में 63.4 एम0यू0 जल विद्युत उत्पादन एवं उत्पादित ऊर्जा को 9 कि0मी0 लम्बाई की 33 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन्स के माध्यम से रानीबाग स्थित सब स्टेशन तक पहुंचाने का कार्य सम्मिलित है। पावर हाउस से रानीबाग सब स्टेशन तक ओवरहेड डबल सर्किट डबल पोल ट्रांसमिशन लाईन्स का निर्माण किया जाएगा। रानीबाग सब स्टेशन से काठगोदाम ग्रिड तक 7 कि0मी0 लम्बाई की भूमिगत 33 के0वी0 ट्रांसमिशन केबल बिछाई जायेगी।

(2) सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को परियोजना के क्रियान्वन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2010 में उत्तराखण्ड परियोजना विकास और निर्माण निगम का गठन सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निर्माण और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। यू0पी0डी0सी0सी0 परियोजना हेतु नोडल संस्था होगी एवं परियोजना के विभिन्न घटकों हेतु उत्तरदायी अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेगी।

(3) यू0पी0डी0सी0सी0 के तहत परियोजना के जलाशय एवं सिंचाई प्रणाली घटक के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई जमरानी की स्थापना की गई है। परियोजना के जल विद्युत घटक के क्रियान्वयन हेतु यू0जे0वी0एन0एल0 के अधीन पृथक पी0आई0ए0 का गठन किया गया है। यू0जे0वी0एन0एल0 की पी0आई0ए0 में ट्रांसमिशन लाईन घटक हेतु यू0पी0सी0एल0 के अधिकारियों को सम्मिलित किया जायेगा।

(4) परियोजना डिजाईन के अनुरूप विभिन्न घटकों हेतु निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता होगी। विभिन्न घटकों के भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के क्रियान्वयन का कार्य सम्बन्धित घटकों की पी0आई0यू0/पी0आई0ए0 द्वारा किया जाएगा। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस विशिष्ट पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का गठन प्रस्तावित जमरानी बांधबहुउद्देशीय परियोजना के भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रबन्धन हेतु किया गया है। प्रभावित व्यक्तियों के लिए नीतिगत प्राविधानों को बेहतर करने के उद्देश्य से बदलाव या संशोधन करने का अधिकार परियोजना के वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय लेने हेतु गठित उच्च प्राधिकार समिति (एच0पी0सी0) को होगा।

2. भूमि अध्याप्ति आवश्यकता एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रभावों का विषय क्षेत्र

(1) परियोजना डिजाईन के समय परियोजना हेतु भूमि की आवश्यकता को न्यून रखने हेतु उपयुक्त अभियान्त्रिकी विकल्पों का प्रयोग किया गया है। उपलब्ध राजकीय भूमि का अधिकाधिक प्रयोग किये जाने का प्रयास किया गया है। परन्तु प्राथमिक आंकलन के आधार पर विभिन्न विभागों के स्वामित्व की भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि की भी आवश्यकता है। भूमि अध्याप्ति की आवश्यकता एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रभावों के दायरों का सारांश तालिका 1 में दिया गया है।

I/76046/2022

तालिका 1: भूमि अध्याप्ति आवश्यकता एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रभावों का विषय क्षेत्र

क्र0स0	घटक	भूमि अध्याप्ति आवश्यकता का प्रकार एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रभावों का विषय क्षेत्र
1	बांध एवं जलाशय का निर्माण	• वन विभाग के स्वामित्व की आरक्षित वन भूमि सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित की जाएगी। वन भूमि के अधिग्रहण के कारण कोई पुनर्व्यवस्थापन प्रभाव नहीं होगा। • वन विभाग के स्वामित्व की (संरक्षित/ग्राम वन) वन पंचायत भूमि सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित की जाएगी जिसके परिणामस्वरुप ग्रामीणों के वन अधिकारों की हानि होगी। • राज्य सरकार के स्वामित्व की राजस्व भूमि सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित की जाएगी। गैर शीर्षकधारक यदि कोई हों, प्रभावित हो सकते हैं। • निजी भूमि का स्थाई अधिग्रहण। कृषि भूमि की हानि, आवासीय भूमि की हानि, आजीविका की हानि, आश्रय एवं अन्य परिसम्पतियों की हानि। उक्त के परिणाम स्वरूप परिवारों का विस्थापन एवं आजीविका की हानि। • सामुदायिक भूमि का स्थाई अधिग्रहण। भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों सहित सामुदायिक संसाधनों की हानि।
2	सिंचाई नहर निर्माण एवं पुनरोद्धार	• वन विभाग के स्वामित्व की आरक्षित वन भूमि सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित की जाएगी। वन भूमि के अधिग्रहण के कारण कोई पुनर्व्यवस्थापन प्रभाव नहीं होगा। • वन विभाग के स्वामित्व की (संरक्षित/ग्राम वन) वन पंचायत भूमि सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित की जाएगी जिसके परिणामस्वरुप ग्रामीणों के वन अधिकारों की हानि होगी। • राज्य सरकार के स्वामित्व की राजस्व भूमि सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित की जाएगी। गैर शीर्षकधारक यदि कोई हों, प्रभावित हो सकते हैं। • निजी भूमि का स्थाई अधिग्रहण। कृषि भूमि की हानि, आवासीय भूमि की हानि, आजीविका की हानि, आश्रय एवं अन्य परिसम्पतियों की हानि।
3	जल विद्युत उत्पादन एवं ट्रांसमिशन	• पावर हाउस का निर्माण जलाशय घटक की वन भूमि में किया जाएगा एवं अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। • ट्रांसमिशन लाइन हेतु स्थायी अथवा अस्थायी अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। केवल उपयोगकर्ता अधिकार का प्रयोग किया जायेगा। भूमि तथा फसलों पर अस्थाई प्रभाव पड सकता है।

(2) इस नीति में उपलब्ध कानूनी ढांचे के अनुरूप भूमि आवश्यकता के प्रकार एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रभाव के आधार पर विशिष्ट पात्रता लाभ प्रस्तावित किये गये हैं।

3. नीति के उद्देश्य

यह नीति परियोजना में प्रस्तावित विभिन्न घटकों की भूमि अध्याप्ति प्रक्रिया के मार्गदर्शन एवं परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन सहित विभिन्न पात्रता लाभों के निर्धारण हेतु तैयार की गयी है। नीति में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी मामलों एवं आजीविका बहाली को प्रभावित परिवारों के साथ परामर्श से हल करने का प्रयास किया गया है। पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया में निहित कठिनाईयों को पर्याप्त प्रतिकर व सहायता तथा क्रियान्वयन ईकाई द्वारा सक्रिय क्रिया कलापों के माध्यम से न्यून किये जाने का प्रयास किया गया है। इस नीति में वर्णित प्राविधानों के आधार पर प्रत्येक घटक हेतु पृथक पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की जायेगी। यह नीति सुनिश्चित करती है कि प्रभावित परिवार अपने पुराने जीवन स्तर, उपार्जन क्षमता, उत्पादन स्तर को बढाने या परियोजना पूर्व के स्तर तक रखने एवं सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर को बहाल कर सकें।

I/76046/2022

4. विधिक ढांचा

यह नीति मुख्यतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनाये गये सम्बन्धित दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार की गयी है। लागू नीतिगत एंव विधिक ढांचे की मुख्य विशिष्टयां निम्नवत हैं:

4.1 भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013.

(1) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 दिनांक 01 जनवरी 2014 से प्रभावी है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस केन्द्रीय अधिनियम को अपनाते हुए सम्बन्धित नियमों को वर्ष 2015 में अधिसूचित किया है।

(2) अधिनियम के उद्देश्य हैं: (i) भारत के संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं और ग्राम सभाओं के परामर्श से, औद्योगीकरण, अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और नगरीकरण के लिए भू–स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुम्बों को कम से कम बाधा पहुंचाए बिना भूमि अर्जन के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना। (ii) उन प्रभावित कुटुम्बों को जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है या जो ऐसे अर्जन से प्रभावित हुए हैं को न्यायसंगत और उचित प्रतिकर दिया जाना। (iii) ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए पर्याप्त प्राविधान करना (iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य भूमि अर्जन का समुच्चयी निर्णय ऐसा होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बने, जिससे अर्जन के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में सुधार हो सके, तथा उससे संबधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए पर्याप्त उपबंध हों।

(3) अधिनियम की धारा 107 व 108 राज्य सरकार को ऐसी नीति तैयार करने को अधिकृत करती है जिससे मूल अधिनियम में प्राविधानित पात्रता लाभों में वृद्धि हो अथवा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम के प्राविधानों को अधिक लाभप्रद किया जा सके। यह नीति आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के उक्त प्राविधान के अतिरिक्त अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुरूप बाजार मूल्य के गुणांक के आधार पर प्रस्तावित न्यूनतम प्रतिकर एवं अधिनियम की अनुसूची 2 के अनुरूप पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों की पुष्टि करती है।

4.2 अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006

(1) यह अधिनियम वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, के वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने का प्राविधान करता है। इस अधिनियम में वन भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने का प्राविधान है।

(2) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 जिसे वन अधिकार अधिनियम के रुप में भी जाना जाता है, वनवासियों के अधिकारों (मुख्य रुप से अनुसूचित जनजातियों) को विधिक मान्यता प्रदान करके वन और उसके संसाधनों का उपयोग करने के लिए मान्यता देने के साथ इन वन निर्भर समुदायों को वन संसाधनों के सतत उपयोग, संरक्षण और प्रबन्धन में जिम्मेदारी निहित करता है जिससे वे इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकें।

4.3 वन पंचायत अधिनियम, 1931

(1) वन पंचायत जो वर्ष 1921 में प्रारम्भ की गई, उत्तराखण्ड राज्य में सामुदायिक वन प्रबन्धन की एक अनूठी प्रणाली है, जहां लोगों को न केवल छोटे वन उत्पादों का उपयोग करने की अनुमति है, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर "वन पंचायत" नामक संस्था के माध्यम से इसे सतत तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। वन पंचायत अधिनियम 1931 के माध्यम से इसे औपचारिक रुप से वैध किया गया।

(2) वन पंचायत का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उपयोग के लिए संरक्षित वनों के हिस्से का कायाकल्प एवं प्रबन्धन करना है। एक बार औपचारिक रुप से सीमांकित हो जाने के उपरान्त यह पड़ोसी ग्रामों को इस क्षेत्र में घुसपैठ करने से भी रोकता है। आग से जंगल की सुरक्षा, अवैध कटाई और चारण के साथ–साथ लोपिंग के कारण पेड़ों को होने वाले नुकसान को रोकना भी वन पंचायतों का उत्तरदायित्व है। कानून में वन पंचायतों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राम समुदाय के सर्वोत्तम लाभ के लिए ग्राम वन भूमि को वन उपज के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग में नहीं मोडा जाए।

(3) वन पंचायत का गठन नौ सदस्यों की समिति द्वारा किया जाता है जिसमें उसका मुखिया सम्मिलित होता है जिसे "सरपंच" कहा जाता है । इसकी कार्यप्रणाली का संचालन राजस्व विभाग के उपजिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। आम तौर पर सामुदायिक वन का प्रबन्धन वन पंचायत द्वारा बारी–बारी से जंगल देखने के माध्यम से किया जाता है या एक गार्ड की नियुक्ति की जाती है जिसके वेतन का भुगतान सामुदायिक अंशदान द्वारा किया जाता है। वन पंचायत घास काटने, चराई और गिरी हुई लकड़ी के संग्रहण की अनुमति भी देती है तथा सरकार की अनुमति से शुल्क भी वसूलती है। सरकार की सिफारिश पर वन पंचायत को राल, गैर इमारती वन उत्पादों और वृक्षों की निकासी के अधिकार भी दिये जाते हैं। वन पंचायत के पास नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित करने या जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वन पंचायत आवश्यकताओं के अनुसार बुद्धिमत्ता से अपने नियम और नियमन बनाती है।

I/76046/2022

4.4 विद्युत पारेषण लाइन हेतु विधिक ढांचा

33 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के भूमि अर्जन/प्रतिकर हेतु विशिष्ट विधिक अथवा नीतिगत ढांचा ना होने के कारण परियोजना के ऊर्जा घटक की विद्युत पारेषण लाइन को विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 67 व 68 सपठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 10 व 16 प्रतिकर निर्धारित करती हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 10 बी0 के अनुरूप यू0पी0सी0एल0 को किसी भूमि के अर्जन की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 10 डी0 के अनुरूप सभी क्षतियों हेतु प्रत्येक भू स्वामी को प्रतिकर के भुगतान का प्राविधान है। विद्युत अधिनियम 2003 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के प्रतिकर सम्बन्धी प्राविधान निम्नवत हैं:

विद्युत अधिनियम 2003 भाग 8 धारा 67 एवं 68

धारा 67 (3-5):

(3) अनुज्ञप्तिधारी इस धारा और तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करते हुए, कम से कम नुकसान, अहित या असुविधा कारित करेगा और उसके द्वारा या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा कारित किसी नुकसान, अहित या असुविधा का पूरा प्रतिकर देगा।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई मतभेद या विवाद (जिसमें उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर की रकम भी है) उत्पन्न होता है वहां वह मामला समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

धारा 68 (5 व 6):

(5) जहां किसी शिरोपरि लाइन के निकट खडे या पड़े कोई वृक्ष या जहां कोई संरचना या अन्य वस्तु जो ऐसी लाइन बिछाने के पश्चातवर्ती किसी शिरोपरि लाइन के निकट रखी है या गिर गई है, विद्युत के प्रवहण का पारेषण या किसी संकर्म के पहुंच मार्ग को अवरूद्ध करती है या बाधा डालती है या अवरूद्ध करने या बाधा डालने की सम्भावना है, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट या समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर उस वृक्ष, संरचना या वस्तु को हटवा सकेगा या अन्यथा ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जा वह उचित समझे।

(6) उपधारा (5) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, शिरोपरि लाइन के लगाने के पूर्व विद्यमान किसी वृक्ष की दशा में, उस वृक्ष से हितबद्ध व्यक्ति को उतना प्रतिकर प्रदान करेगा जितना वह उचित समझे और ऐसा व्यक्ति उसे अनुज्ञप्तिधारी से वसूल कर सकेगा।

***स्पष्टीकरण** - इस धारा के प्रयोजनों के लिये "वृक्ष" पद में कोई झाड़ी, बाड़े, जंगली घास या अन्य पौधा सम्मिलित हैं।*

भारतीय तार अधिनियम, 1885, भाग–3, धारा 10

धारा 10 – तारयंत्र प्राधिकारी, समय–समय पर, किसी स्थावर सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, सहारे या आर पार तारयंत्र लाइन और ऐसी सम्पत्ति में या पर खम्बे लगा सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा।
परन्तु

(क) तारयंत्र प्राधिकारी इस धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग {केन्द्रीय सरकार} द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या इस भांति स्थापित किए या अनुरक्षित रखे जाने वाले तारयंत्र के प्रयोजनों के लिए करने के सिवाय नही करेगा,

(ख) {केन्द्रीय सरकार} उस सम्पत्ति में जिसके नीचे, ऊपर सहारे, आर पार में या पर तारयंत्र प्राधिकारी कोई तारयंत्र लाइन या खम्बे लगाता है, केवल उपयोग के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित नहीं करेगी, और

I/76046/2022

(ग) इसके पश्चात इसमें उपबधित के सिवाय, तारयंत्र प्राधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग ऐसी किसी सम्पत्ति के बाबत जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित है या इसके नियंत्रण में या प्रबन्धाधीन है, उक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नही करेगा, और

(घ) इस धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने में तारयंत्र प्राधिकारी यथासम्भव अल्पतम नुकसान करेगा, और जब उसने उन शक्तियों का प्रयोग खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सम्पत्ति के भिन्न किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किया हो तब वह सब हितबद्ध व्यक्तियों को उन शक्तियों के प्रयोग के कारण उनको हुए किसी नुकसान के लिए पूर्ण प्रतिकर देगा।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 16 के अनुसार:

धारा 16. स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति की अवस्था में धारा 10 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग और उक्त अवस्था में प्रतिकर की बाबत विवाद :

(1) यदि धारा 10 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट सम्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त धारा में वर्णित शक्तियों के प्रयोग का प्रतिरोध किया जाता है या उसमें बाधा डाली जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार आदेश दे सकेगा कि तारयंत्र प्राधिकारी को उनका प्रयोग करने दिया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन आदेश दिये जाने के पश्चात कोई व्यक्ति उन शक्तियों के प्रयोग का प्रतिरोध करता है, या सम्पत्ति पर नियंत्रण रखते हुए उनका प्रयोग किये जाने के लिए सब सुविधाएं नही देता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के अधीन अपराध किया है।

4.5 जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की पुनर्वास नीति के सिद्धान्त

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रतिकर एवं सहायता निम्न विशिष्ट नीतिगत सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार होंगे:

(i) विगत, वर्तमान तथा भावी अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रभाव और नुकसानों की शीघ्र पहचान करने के लिए परियोजना की जांच। विस्थापित लोगों के सर्वेक्षण तथा/अथवा जनगणना करवाकर पुनर्वास योजना के दायरे को निर्धारित करना जिसमें पुनर्वास समाघात और जोखिमों से जुड़े विश्लेषण शामिल हों।–

(ii) विस्थापित लोगों, मेजबान समुदायों तथा संबंधित गैरसरकारी संगठनों के साथ सार्थक परामर्श करना। सभी विस्थापित लोगों को उनके अधिकारों और पुनर्वास विकल्पों से अवगत कराना। सुनिश्चित करना कि पुनर्वास कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन में उनकी भागीदारी हो। कमजोर वर्गो विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों, भूमिहीनों, महिलाओं और बच्चों तथा देशज़ लोगों और जमीन के कानूनी अधिकार से वंचित लोगों की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान देना और परामर्श में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। विस्थापित लोगों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थानों और उनकी मेजबानी करने वाले लोगों को सहायता देना। जहां अस्वैच्छिक पुनर्वास के प्रभाव और जोखिम बहुत जटिल और संवेदनशील हों, स्थानीय तैयारी प्रक्रिया से पहले मुआवजा तथा पुनर्वास निर्णय लेना।

(iii) सभी विस्थापित एवं प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका में निम्न माध्यमों से सुधार करना या कम से कम पूर्व स्तर तक रखना (क) जहां प्रभावित होने वाली आजीविका भूमि आधारित हो वहाँ यथा सम्भव भूमि आधारित पुनर्व्यवस्थापन रणनीतियां या जहां भूमि की हानि से आजीविका प्रभावित ना होती हो वहां प्रतिस्थापन लागत पर नकद प्रतिकर (ख) समान या अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियों तक पहुंच के साथ परिसमपत्तियों का त्वरित प्रतिस्थापन (ग) बहाल न किये जाने योग्य परिसम्पत्तियों की पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर त्वरित प्रतिकर और (घ) जहां सम्भव हो योजनाओं के माध्यम से लाभ साझाकरण अतिरिक्त राजस्व एवं सेवाएं।

(iv) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार निम्न सहायता उपलब्ध कराना: (क) यदि पुनर्स्थापन हो, तो सुरक्षित कार्यकाल में पुनर्स्थापन, रोजगार एवं उत्पादन के तुलनात्मक अवसरों के साथ पुनर्व्यवस्थापन स्थलों पर बेहतर आवासीय सुविधा, विस्थापित व्यक्तियों का उनके मेजबान समुदाय के साथ सामाजिक एवं आर्थिक एकीकरण, एवं मेजबान समुदायों को परियोजना के लाभों का विस्तार (ख) संक्रमणकालीन और विकास सहायता, जैसे भूमि विकास, ऋण सुविधाएं, प्रशिक्षण, या रोजगार के अवसर और (ग) आवश्यकतानुसार नागरिक आधारभूत संरचनाएं और सामुदायिक सेवाएं।

I/76046/2022

(v) कमजोर समूहों जिसमें गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रभावित परिवार (बी0पी0एल0 कार्ड धारक अथवा राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित), भूमिहीन परिवार, वयोवृद्ध मुखिया परिवार (एकमात्र आय अर्जक), महिला मुखिया परिवार (प्राथमिक आय अर्जक), अनाथ, अनुसूचित जाति/जन जाति परिवार तथा भूमि के गैर शीर्षक धारक परिवार (पट्टाधारक/किरायेदार/बटाईदार एवं अन्य गैर शीर्षक धारक) भी सम्मिलित हैं पर विशेष ध्यान देते हुए उनके न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों तक उन्नयन हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।

(vi) यदि भूमि का अधिग्रहण किसी समझौते के माध्यम से हो तो स्पष्ट, सुसंगत तथा उचित ढंग से प्रक्रिया तैयार करना ताकि यह सुनिशिचित किया जा सके कि जो लोग ऐसे समझौते करते हैं वे समान या बेहतर आय तथा आजीविका का स्तर बनाए रखें।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि विस्थापित व्यक्ति जो गैर भूमि धारक हैं या जिनके पास कोई पहचानने योग्य भूमि का विधिक अधिकार ना हो, भी पुनर्वासन सहायता एवं गैर भूमि परिसम्पत्तियों के प्रतिकर के योग्य हैं।

(viii) विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों, आय और आजीविका बहाली रणनीति, संस्थागत व्यवस्था, निगरानी और रिपोर्टिंग ढांचे, बजट और समयबद्ध क्रियान्वयन कार्यक्रम पर विस्तार से एक पुनर्वास योजना तैयार करना।

(ix) प्रारुप एवं अन्तिम पुनर्वास योजना को परामर्श प्रक्रिया के अभिलेखीकरण सहित, एक निश्चित समय अवधि में सुलभ स्थान पर और विस्थापित व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के लिए समझने योग्य रूप और भाषा (ओं) में प्रकट करना।

(x) विकास परियोजना या प्रोग्राम के अंग के रूप में स्वैच्छिक पुनर्वास की योजना तैयार और कार्यान्वित करना। परियोजना की लागत तथा फायदों की प्रस्तुति में पुनर्वास की पूरी लागत सम्मिलित करना। अधिक अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रभाव वाली किसी परियोजना के लिए एकाकी कार्य के रूप में परियोजना के अस्वैच्छिक पुनर्वास घटक को क्रियान्वित करने पर विचार करना।

(xi) विस्थापन से पूर्व प्रतिकर और अन्य पुनर्वास अधिकार प्रदान करना। सम्पूर्ण परियोजना क्रियान्वयन के दौरान गहन पर्यवेक्षण के तहत पुनर्वास योजना को लागू करना।

(xii) पुनर्व्यवस्थापन परिणामों का प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर पर प्रभावों का अनुश्रवण एवं आंकलन करना तथा अनुश्रवण रिपोर्टों को सार्वजनिक करना।

(xiii) पारेषण लाईन हेतु स्थाई भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। पारेषण लाईन के समरेखण का किसी प्रकार की संरचना/भवन पर कोई प्रभाव नही होगा। पारेषण लाईन का निर्माण मौजूदा सडकों (जहां विद्यमान हों) के अनुसरण में एवं अन्य स्थानों पर गैर फसली मौसम में किया जाएगा एवं अनिवार्य प्रभावों की स्थिति में हानियों का प्रतिकर दिया जाएगा। फसलों एवं वृक्षों की हानि के प्रतिकर का आंकलन यू0पी0सी0एल0 द्वारा राजस्व विभाग तथा उद्यान/वन विभाग जैसा लागू हो, की सहायता से किया जाएगा। अस्थाई प्रभावों के लिए प्रतिकर का भुगतान पारेषण लाईन के निर्माण से पूर्व किया जाएगा।

(xiv) प्रतिकर हेतु पात्रता एवं सहायता हेतु भूमि धारक परिवारों हेतु कट ऑफ दिनांक आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 11 की अधिसूचना की तिथि होगी। गैर भूमि धारक परिवारों की पात्रता हेतु कट ऑफ दिनांक परियोजना जनगणना सर्वेक्षण अथवा सम्बन्धित घटकों हेतु विस्तृत सर्वेक्षण की तिथि होगी।

(xv) इस पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन नीति के अंग्रेजी व हिन्दी संस्करणों में किसी प्राविधान में विसंगति की स्थिति में नीति का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

5. परियोजना अधिकार

उपरोक्त विधिक ढांचे एवं नीति विश्लेषण के अनुरूप इस पुनर्वास नीति में विभिन्न परियोजना घटकों के लिए भूमि अर्जन के प्रकार एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रभावों के आधार पर पृथक-पृथक परियोजना अधिकार रेखांकित किये गये हैं। परियोजना अधिकारों हेतु आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम में परिभाषित "प्रभावित परिवार" इकाई होगी। प्रत्येक परियोजना घटक के लिए पृथक परियोजना अधिकार ढांचा निम्नवत है।

5.1 बांध एवं जलाशय घटक हेतु अधिकार ढांचा

T/76046/2022
(1) बांध एवं जलाशय घटक में सभी प्रभावित व्यक्तियों की भूमि की हानि होगी एवं कुछ प्रभावित व्यक्तियों का भौतिक विस्थापन होगा। भूमि हानि के आंकलन के आधार पर भूमिधारकों की अधिकांश संख्या के पास एक एकड़ से कम की भू–धृति है। इस घटक के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि अर्जन के फलस्वरूप लगभग 25 प्रतिशत भूमिधारक भौतिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति में प्रभावित भूमिहीन/सीमान्त कृषक को यथासंभव भूमि के बदले भूमि दिया जाना प्राविधानित है। परियोजना के उपरोक्त संदर्भ में सीमित भूमि उपलब्धता एवं भौतिक विस्थापन की मात्रा के दृष्टिगत प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है एवं विशिष्ट अधिकार प्रस्तावित किये गये हैं। इस परियोजना हेतु पुनर्वास नीति को तैयार करते समय सभी हितधारकों एवं प्रभावित समुदायों से परामर्श कर उनके विचारों का समावेश किया गया है। विभिन्न श्रेणियों का विस्तृत विवरण निम्न तालिका 2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2: परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का वर्गीकरण एवं पात्रता

श्रेणी	श्रेणी का विवरण
श्रेणी 1	डूब क्षेत्र में निवासरत भूमि धारक परिवार जो भौतिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं अथवा परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत भूमि धारक परिवार जो गंभीर रुप से प्रभावित हैं।
श्रेणी 2	भूमि धारक परिवार जो भूमि खो रहे हैं परन्तु डूब क्षेत्र अथवा परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत नही हैं। अथवा परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत भूमि धारक परिवार जो आंशिक रुप से प्रभावित हैं।
श्रेणी 3	गैर भूमि धारक परिवार जो डूब क्षेत्र में निवासरत हैं तथा भौतिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं। अथवा श्रेणी 1 के परिवार का व्यस्क व्यक्ति जो किसी भी लिंग का हो एवं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम में पृथक प्रभावित परिवार परिभाषित है।
श्रेणी 4	गैर भूमि धारक परिवार जैसे कृषि एवं व्यवसायिक किरायेदार, बंटाईदार एवं पट्टेधारक जो प्रभावित हैं परन्तु विस्थापित नहीं हैं।

(2) बांध एवं जलाशय घटक के अन्तर्गत श्रेणी 1 के भूमि धारक परिवारों को एक एकड़ वैकल्पिक विस्थापन विकसित कृषि भूमि व 200 वर्ग मीटर विकसित आवासीय भूखण्ड के अतिरिक्त भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों का प्रतिकर दिया जाना प्रस्तावित है। श्रेणी 2 के अन्य प्रभावित भूमि धारक परिवारों को पुनर्वास स्थल की भूमि के मूल्य की दर से एक एकड़ भूमि का नकद प्रतिकर उपलब्ध कराया जाएगा। श्रेणी 3 से सम्बन्धित अवशेष परिवारों को पुनर्वास स्थल पर 50 वर्ग मीटर के आवसीय भूखण्ड सहित पी0एम0ए0वाई0 विशिष्टियों के अनुरुप निर्मित आवास अथवा आवास निर्माण हेतु समतुल्य धनराशि देय होगी। गैर भूमि धारक प्रभावित परिवार जैसे कृषिक किरायेदार, बंटाईदार/पट्टाधारक को एक पृथक श्रेणी 4 में वर्गीकृत किया गया है जो पात्रता ढांचा के अनुरुप विभिन्न प्रतिकर एवं सहायता हेतु पात्र होंगे। बांध एवं जलाशय घटक के लिए प्रस्तावित पात्रता ढांचा निम्न तालिका 3 में प्रस्तुत है।

तालिका 3 : बांध व जलाशय घटक हेतु अधिकार ढांचा

क्र0स0	प्रभावित श्रेणीयां	अधिकारों की ईकाई	अधिकारों का विवरण
अ	प्रतिकर		
1	श्रेणी 1 के परिवार की भूमि की हानि	(क) डूब क्षेत्र में निवासरत भूमि धारक परिवार तथा भौतिक रूप से विस्थापित (ख) परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत भूमि धारक परिवार जो गंभीर रुप से प्रभावित हो।	• पुनर्वास स्थल पर पूर्ण विकसित एक एकड़ कृषि भूमि। • अर्जित भूमि का प्रतिकर जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की अनुसूची । के अनुरुप आंकलित होगा का भुगतान किया जाएगा। • अवयस्क भू–खातेदारों को भूमि का प्रतिकर फिक्सड डिपोजिट के रूप

I/76046/2022

			में देय होगा जिसका भुगतान व्यस्क हो जाने के समय हो सकेगा। • पुनर्वास स्थल पर 200 वर्ग मीटर का विकसित आवासीय भूखण्ड • यदि प्रभावित परिवार द्वारा भूमि के बदले भूमि का विकल्प नही लिया जाता है तो रु0 19.50 लाख[1] की एकमुश्त धनराशि एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का प्रतिकर जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की अनुसूची I के अनुरूप आंकलित होगा का भुगतान किया जाएगा। • पंजीकरण शुल्क/स्टॉम्प ड्यूटी परियोजना द्वारा देय होगी। • प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी। • आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा। • आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुरुप एस0आई0ए0 की अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज।
2	श्रेणी 2 के परिवार की भूमि की हानि	(क) भूमि धारक परिवार जो परियोजना के लिए अपनी भूमि खो रहा हो परन्तु डूब क्षेत्र अथवा परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत ना हो। (ख) परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत भूमि धारक परिवार जो जो आंशिक रुप से प्रभावित हो।	• रु0 19.50 लाख की एकमुश्त राशि एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का प्रतिकर जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की अनुसूची I के अनुरूप आंकलित होगा का भुगतान किया जाएगा। • अवयस्क भू–खातेदारों को भूमि का प्रतिकर फिक्सड डिपोजिट के रूप में देय होगा जिसका भुगतान व्यस्क हो जाने के समय हो सकेगा। • पंजीकरण शुल्क/स्टॉम्प ड्यूटी परियोजना द्वारा देय होगी। • आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुरुप एस0आई0ए0 की अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज।

3	श्रेणी 3 के परिवार हेतु विशेष पुर्नस्थापन प्राविधान	(क) डूब क्षेत्र में निवासरत गैर भूमि धारक परिवार तथा भौतिक रूप से विस्थापित (ख) श्रेणी I से सम्बन्धित किसी भी लिंग का व्यस्क व्यक्ति तथा	• पी0एम0ए0वाई0 विशिष्टियों के अनुरूप 50 वर्गमीटर आकार के भूखण्ड पर निर्मित आवास। या • यदि प्रभावित परिवार द्वारा

[1] इस राशि की गणना उन ग्रामों मे समान भूमि के वर्तमान अधिकतम सर्किल रेट के आधार पर की गई है,जिनमें पुर्नव्यवस्थापन का प्रस्ताव किया गया है। प्रतिकर के भुगतान के समय उपलब्ध वर्तमान मूल्य सूचकांक/अद्यतन सर्किल दरें लागू होगें।

I/76046/2022

		आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम में पृथक प्रभावित परिवार परिभाषित।	भूखण्ड और/या आवास का विकल्प नही लिया जाता है तो एकमुश्त रु0 2.95 लाख[2] के नकद प्रतिकर का भुगतान उक्त विकल्प के लिए किया जाएगा। • पंजीकरण शुल्क/स्टॉम्प ड्यूटी परियोजना द्वारा देय होगी। • प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी। • आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
4	निजी परिसम्पत्ति की हानि	आवासीय/व्यवसायिक तथा अन्य परिसम्पत्ति की हानि वाले संबधित श्रेणी के भूमि धारक प्रभावित परिवार।	• आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 29 के अनुसार बिना मूल्य ह्रास के निर्धारित परिसम्पत्ति का बाजार मूल्य। • परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 100 प्रतिशत तोषण राशि। • प्रभावित परिवार जिनको दुकान की हानि हो रही हो को दुकान की हानि के बदले पुनर्वास स्थल पर 15 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल की निर्मित दुकान का अधिकार होगा। • खोई हुई संरचना तथा अन्य परिसम्पत्ति की सामग्री रक्षित करने का अधिकार।
		आवासीय/व्यवसायिक तथा अन्य परिसम्पत्ति की हानि वाले श्रेणी 3 के गैर शीर्षक धारक (अतिक्रमणकारी/अवैध निवासी) प्रभावित परिवार	• बिना मूल्य ह्रास के संरचनाओं का बाजार मूल्य • खोई हुई संरचना तथा अन्य परिसम्पत्ति की सामग्री रक्षित करने का अधिकार। • प्रभावित परिवार जिनको दुकान की हानि हो रही हो को दुकान की हानि के बदले पुनर्वास स्थल पर 15 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल की निर्मित दुकान का अधिकार होगा।
5	वृक्षों तथा फसलों की हानि	वृक्षों तथा फसलों की हानि वाले प्रभावित परिवार	• राज्य उद्यान/वन/कृषि विभाग द्वार निर्धारित वृक्षों एवं खडी फसलों के बाजार मूल्य का भुगतान किया जाएगा। • वृक्षों/फसलों के बाजार मूल्य पर 100 प्रतिशत तोषण राशि।
ब	पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन सहायता		
1	पशुबाडा की हानि	पशुबाडा खोने वाले प्रभावित परिवार	• रू0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकबारगी पुनर्निमाण सहायता जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्य तन हो।

[2] इस राशि की गणना उन ग्रामों में जिनमें पुर्नव्यवस्थापन का प्रस्ताव किया गया है में 50 वर्ग मीटर भूमि के अधिकतम सर्किल रेट तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के निंमाण के लिये दिये गये दिशा निंदेशों के आधार पर की गई है। प्रतिकर भुगतान के समय उपलब्ध वर्तमान मूल्य सूचकांक/अद्यतन सर्किल दरें लागू होगें।

I/76046/2022

2	व्यवसायिक संरचना की हानि	व्यवसायिक संरचना खोने वाले प्रभावित परिवार	• रू0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकबारगी पुनर्निमाण सहायता जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्य तन हो।
3	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को अनुदान	प्रभावित परिवारों में सम्मिलित कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वरोजगार में लगे व्यक्ति या प्रभावित परिवार जिनके स्वामित्व में प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषि भूमि अथवा व्यवसायिक, ओद्यौगिक या संस्थागत संरचना हो जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित कर दिया गया हो।	• रू0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकमुश्त सहायता जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
4	वार्षिकी	प्रभावित परिवार	प्रति प्रभावित परिवार रु0 पाँच लाख जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो। या 20 वर्षों के लिए न्यूनतम दो हजार प्रतिमाह की वार्षिकी नीतियां जो कृषिक श्रमिकों के लिए वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
5	जीवन निर्वाह अनुदान	विस्थापित परिवार	एक वर्ष के लिए रू0 तीन हजार प्रतिमाह की राशि अथवा रु0 36000.00(छत्तीस हजार रू0) का एकमुश्त अनुदान जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
6	परिवहन अनुदान	विस्थापित परिवार	कुटम्ब, भवन व घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए रु0 50000.00(पचास हजार रू0) की राशि जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
7	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रभावित परिवार	रु0 50000.00(पचास हजार रू0) की राशि जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
8	मछली पकडने का अधिकार	प्रभावित परिवार	व्यवसायीकरण हेतु शीर्षक धारक प्रभावित परिवारों में से अधिकतम एक इच्छुक अभ्यर्थी को मत्स्य पालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा मत्स्य पालन/शिकार का समूचित प्रशिक्षण दिया जाऐगा उपरोक्त उल्लेखित इच्छुक अभ्यर्थियों का स्वयं सहायता समूह/सहकारी समिति/महिला मंगल दल का गठन किया जाऐगा। इन समूहों के लिए जलाशय में 2 बीट आरक्षित की जायेगें। इन समूहों/समिति को उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन एवं संग्रहण नियामावली 2013 में निम्नलिखित छूट दी जायेगी:– 1. नियम संख्या 10–(6) निविदा में भाग लेने के लिए धरोहर राशि में 50 प्रतिशत छूट और स्थिति

I/76046/2022

			(हैसियत) प्रमाण से छूट। 2. नियम संख्या 11—(3) स्टांप शुक्ल में 50 प्रतिशत की छूट। 3. नियम संख्या 11—(4) सम्पूर्ण 10 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करने में छूट और सफल निविदादाता को अनुबन्ध की तिथि से तीन माह के भीतर निविदा के आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करने में छूट होगी। 4. प्रभावित परिवारों के इच्छुक उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन, मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार आरक्षित बीट नई निविदाओं के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
9	व्यवसायिक विकास का अधिकार	प्रभावित परिवार	यदि परियोजना के अन्तर्गत कोई भी व्यवसायिक / पर्यटन सम्बन्धित गतिविधियां संचालित होती हैं तो प्रभावित परिवारों को उनमें वरीयता दी जाएगी।
10	वन पंचायत भूमि उपयोग की हानि	परियोजना प्रभावित राजस्व ग्रामों में निवासरत प्रभावित परिवार	300 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी। प्रभावित परिवार
11	आघात योग्य सहायता	गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रभावित परिवार (बी0पी0एल0 कार्ड धारक अथवा राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित), भूमि हीन परिवार, वयोवृद्ध मुखिया परिवार (एकमात्र आय अर्जक), महिला मुखिया परिवार (प्राथमिक आय अर्जक), अनाथ, अनुसूचित जाति / जन जाति परिवार तथा भूमि के गैर शीर्षक धारक परिवार (पट्टाधारक / किरायेदार / बटाईदार एवं अन्य गैर शीर्षक धारक)।	रू0 40000.00(चालीस हजार रू0) की एकमुश्त सहायता।
12	कृषि पट्टा / किरायेदारी की हानि	प्रभावित क्षेत्र में भूमि अर्जन से तीन वर्ष पूर्व से कार्यरत श्रेणी 4 के पंजीकृत कृषि पट्टा धारक / किरायेदार।	• जमा किराया या असमाप्त पट्टा राशि (यह पट्टादाता / स्वामी के प्रतिकर से घटायी जाएगी) • रू0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकमुश्त सहायता। • एक वर्ष के लिए रू0 तीन हजार प्रतिमाह का जीवन निर्वहन भत्ता अथवा रू0 36000.00(छत्तीस हजार रू0) का एकमुश्त अनुदान जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
13	आवासीय व्यवसायिक पट्टा / किरायेदारी की हानि	पंजीकृत आवासीय / व्यवसायिक पट्टा धारक / किरायेदार।	• जमा किराया या असमाप्त पट्टा राशि (यह पट्टादाता / स्वामी के प्रतिकर से घटायी जाएगी) • रू0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकमुश्त सहायता।

I/76046/2022

			• एक वर्ष के लिए रू0 तीन हजार प्रतिमाह का जीवन निर्वहन भत्ता अथवा रू0 36000.00(छत्तीस हजार रू0) का एकमुश्त अनुदान जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो। • कुटम्ब, भवन व घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए रू0 50000.00(पचास हजार रू0) की राशि जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्य तन हो।
14	आजीविका की हानि	आजिविका खो रहे प्रत्येक प्रभावित परिवार का एक सदस्य (कृषि भूमि धारक/ व्यवसाय स्वामी/ कृषि श्रमिक)	इच्छुक प्रभावित व्यक्तियों को यू0के0एस0डी0एम0 से कौशल विकास प्रशिक्षण।
स	सामुदायिक संपत्ति संसाधन		
1	सामुदायिक संपत्ति की हानि	(क) समुदाय के स्वामित्व/ प्रबन्धित संपत्ति की हानि (ख) लोकोपयोगी सेवाओं /अवसंरचना की हानि	• अर्जित सामुदायिक भूमि का प्रतिकर जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की अनुसूची I के अनुसार आंकलित होगा। • सामुदायिक संपत्ति संसाधन का पुनर्निमाण अथवा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर।

(3) प्रस्तावित जलाशय क्षेत्र के भीतर धार्मिक महत्व की एक बडी संरचना प्रभावित है जिसे हैड़ाखान मंदिर के नाम से जाना जाता है और जिसे पुनर्स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। परियोजना द्वारा मंदिर ट्रस्ट से परामर्श के उपरान्त मंदिर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशेष उपबंध के रुप में उपरोक्त अधिकार ढांचे के अनुरुप प्रतिकर के अतिरिक्त मंदिर के समीप 2.5 एकड भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

5.2 पुनर्वास स्थल पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं

परियोजना विस्थापित जनसंख्या के पुनव्यर्वस्थापन के लिए आरएफसीटीएलएआरआर की अनुसूची III के प्राविधानों के अनुसार निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सुविधाएं एवं न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं हैं परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी जाएंगी जिससे नई पुनर्वास कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जनसंख्या अपने लिए उचित मानकानुसार सामुदायिक जीवन स्तर सुरक्षित कर विस्थापन में होने वाले आघात को न्यूनतम करने का प्रयास कर सकें।

तालिका 4: पुनर्वास स्थल पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण

क0सं0	अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण	ईकाई/ विशिष्टि
1	पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सडक और पक्की सडक मार्ग से जुडा बारहमासी सडक।	मानकानुसार।
2	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाओं का निष्पादन।	मानकानुसार।
3	प्रत्येक परिवार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानकानुसार सुरक्षित पेयजल के स्रोत।	मानकानुसार।
4	पशुओं हेतु पेयजल का प्राविधान।	मानकानुसार।
5	जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।	पुनर्वासित परिवारों द्वारा मेजबान ग्रामों में विद्यमान सुविधा का प्रयोग किया जाएगा। परियोजना द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि मेजबान समुदायों द्वारा उक्त पर आपत्ति नही की जायेगी।आपत्ति होने पर

I/76046/2022

		परियोजना द्वारा आवश्यक प्राविधान किया जाएगा।
6	राज्य के मानकों के अनुसार चारागाह।	मानकानुसार।
7	उचित मूल्य दुकान।	मानकानुसार।
8	विद्युत संयोजन तथा सार्वजनिक प्रकाश।	मानकानुसार।
9	शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाडी।	1
10	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।	1
11	दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थय केन्द्र।	मानकानुसार।
12	बच्चों के लिए कीडा क्षेत्र /पार्क।	1
13	प्रत्येक सौ कुटुम्बों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।	2
14	प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।	4
15	मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।	मानकानुसार।
16	कृषि भूमि हेतु मूलभूत सिंचाई सुविधाएं।	मानकानुसार।

5.3 सिंचाई नहर घटक हेतु अधिकार ढांचा

सिंचाई नहर घटक के अन्तर्गत होने वाले प्रभाव रेखागत होंगे जिसके लिए प्रतिकर एवं अन्य सहायता आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार दिया जाएगा एवं उक्तानुसार निम्न अधिकार ढांचा तैयार कर निम्न तालिका 5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5: सिंचाई नहर घटक हेतु अधिकार ढांचा

क्र0स0	प्रभावित श्रेणीयां	अधिकारों की ईकाई	अधिकारों का विवरण
अ	प्रतिकर		
1	भूमि की हानि	भूमि धारक परिवार	• अर्जित भूमि का प्रतिकर जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुरूप आंकलित होगा का भुगतान किया जाएगा। • पंजीकरण शुल्क/स्टॉम्प ड्यूटी परियोजना द्वारा देय होगी। • आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुरुप एस0आई0ए0 की अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज। • अवयस्क भू–खातेदारों को भूमि का प्रतिकर फिक्सड डिपोजिट के रूप में देय होगा जिसका भुगतान व्यस्क हो जाने के समय हो सकेगा।
2	निजी परिसम्पत्ति की हानि	आवासीय/व्यवसायिक तथा अन्य परिसम्पत्ति की हानि वाले भूमि धारक प्रभावित परिवार	• आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 29 के अनुसार बिना मूल्य ह्रास के निर्धारित परिसम्पत्ति का बाजार मूल्य। • परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 100 प्रतिशत तोषण राशि। • खोई हुई संरचना तथा अन्य परिसम्पत्ति की सामग्री रक्षित करने का अधिकार।

I/76046/2022

		आवासीय/व्यवसायिक तथा अन्य परिसम्पत्ति की हानि वाले तीनों श्रेणीयों के गैर भूमि धारक (अतिक्रमणकारी/अवैध निवासी) प्रभावित परिवार	• बिना मूल्य ह्रास के संरचनाओं का बाजार मूल्य • खोई हुई संरचना तथा अन्य परिसम्पत्ति की सामग्री रक्षित करने का अधिकार।
3	वृक्षों तथा फसलों की हानि	वृक्षों तथा फसलों की हानि वाले प्रभावित परिवार	• राज्य उद्यान/वन/कृषि विभाग द्वार निर्धारित वृक्षों एवं खडी फसलों के बाजार मूल्य का भुगतान किया जाएगा। • वृक्षों/फसलों के बाजार मूल्य पर 100 प्रतिशत तोषण राशि।
ब	पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन सहायता		
1	पशुबाडा की हानि	पशुबाडा खोने वाले प्रभावित परिवार	• रू0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकबारगी पुनर्निमाण सहायता जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
2	व्यवसायिक संरचना की हानि	व्यवसायिक संरचना खोने वाले प्रभावित परिवार	• रू0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकबारगी पुनर्निमाण सहायता जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
3	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को अनुदान	प्रभावित परिवारों में सम्मिलित कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वरोजगार में लगे व्यक्ति या प्रभावित परिवार जिनके स्वामित्व में प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषि भूमि अथवा व्यवसायिक, ओद्यौगिक या संस्थागत संरचना हो जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित कर दिया गया हो।	• रू0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकमुश्त सहायता जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
4	वार्षिकी	प्रभावित परिवार	प्रति प्रभावित परिवार रु0 पाँच लाख जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो। या 20 वर्षों के लिए न्यूनतम दो हजार प्रतिमाह की वार्षिकी नीतियां जो कृषिक श्रमिकों के लिए वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
5	जीवन निर्वाह अनुदान	विस्थापित परिवार	• एक वर्ष के लिए रू0 तीन हजार प्रतिमाह की राशि अथवा रु0 36000.00(छत्तीस हजार रू0) का एकमुश्त अनुदान जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
6	परिवहन अनुदान	विस्थापित परिवार	• कुटम्ब, भवन व घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए रु0 50000.00(पचास हजार रू0) की राशि जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
7	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रभावित परिवार	• रु0 50000.00(पचास हजार रू0) की राशि जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
8	आघात योग्य सहायता	गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रभावित परिवार (बी0पी0एल0 कार्ड धारक अथवा राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित),	• रु0 40000.00(चालीस हजार रू0) की एकमुश्त सहायता।

–	–	– भूमिहीन परिवार, वयोवृद्ध मुखिया परिवार (एकमात्र आय अर्जक), महिला मुखिया परिवार (प्राथमिक आय अर्जक), अनाथ, अनुसूचित जाति/जन जाति परिवार तथा भूमि के गैर शीर्षक धारक परिवार (पट्टाधारक/किरायेदार/बटाईदार एवं अन्य गैर शीर्षक धारक)।	
9	कृषि पट्टा/किरायेदारी की हानि	प्रभावित क्षेत्र में भूमि अर्जन से तीन वर्ष पूर्व से कार्यरत पंजीकृत कृषि पट्टा धारक/किरायेदार।	• जमा किराया या असमाप्त पट्टा राशि (यह पट्टादाता/स्वामी के प्रतिकर से घटायी जाएगी) • रु0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकमुश्त सहायता। • एक वर्ष के लिए रू0 तीन हजार प्रतिमाह का जीवन निर्वहन भत्ता अथवा रु0 36000.00(छत्तीस हजार रू0) का एकमुश्त अनुदान जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
10	आवासीय व्यवसायिक पट्टा/किरायेदारी की हानि	पंजीकृत आवासीय/व्यवसायिक पट्टा धारक/किरायेदार।	• जमा किराया या असमाप्त पट्टा राशि (यह पट्टादाता/स्वामी के प्रतिकर से घटायी जाएगी) • रु0 25000.00(पच्चीस हजार रू0) की एकमुश्त सहायता। • एक वर्ष के लिए रू0 तीन हजार प्रतिमाह का जीवन निर्वहन भत्ता अथवा रु0 36000.00(छत्तीस हजार रू0) का एकमुश्त अनुदान जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो। • कुटम्ब, भवन व घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए रु0 50000.00(पचास हजार रू0) की राशि जो वर्तमान मूल्य सूचकांक से अद्यतन हो।
11	आजीविका की हानि	आजिविका खो रहे प्रत्येक प्रभावित परिवार का एक सदस्य (कृषि भूमि धारक/ व्यवसाय स्वामी/ कृषि श्रमिक)	• इच्छुक प्रभावित व्यक्तियों को यू0के0एस0डी0एम0 से कौशल विकास प्रशिक्षण।
स	सामुदायिक संपत्ति संसाधन		
1	सामुदायिक संपत्ति की हानि	(क) समुदाय के स्वामित्व/ प्रबन्धित संपत्ति की हानि (ख) लोकोपयोगी सेवाओं / अवसंरचना की हानि	• अर्जित सामुदायिक भूमि का प्रतिकर जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की अनुसूची । के अनुसार आंकलित होगा। • सामुदायिक संपत्ति संसाधन का पुनर्निमाण अथवा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर।

5.4 विद्युत पारेषण लाइन घटक हेतु अधिकार ढांचा

उपरोक्तानुसार पूर्व चर्चित विधिक ढांचे के अनुसार इस घटक हेतु स्थायी भूमि अर्जन नहीं होगा एवं केवल उपयोगकर्ता अधिकार का प्रयोग किया जायेगा। उपयोगकर्ता अधिकार के लिए फसलों के लिए प्रतिकर एवं उपयोगिताओं की पुर्नस्थापना/प्रतिकर निम्न तालिका 6 में प्रस्तुत अधिकार ढांचे के अनुरुप होगा।

I/76046/2022 तालिका 6: विद्युत पारेषण लाइन घटक हेतु अधिकार ढांचा

क्र0स0	प्रभावित श्रेणियां	अधिकारों की ईकाई	अधिकारों का विवरण
अ	प्रतिकर		
1	ओवरहेड लाइन हेतु वृक्षों तथा फसलों की हानि	प्रभावित परिवार	• आर0ओ0डब्लू0 हेतु कृषि विभाग द्वारा निर्धारित फसलों का प्रतिकर। • आर0ओ0डब्लू0 के भीतर आ रहे वृक्षों का उद्यान/वन विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रतिकर।
2	भूमिगत लाइन हेतु वृक्षों/फसलों तथा अन्य स्थावार परिसम्पत्तियों की हानि	प्रभावित परिवार	• आर0ओ0डब्लू0 हेतु कृषि विभाग द्वारा निर्धारित फसलों का प्रतिकर। • आर0ओ0डब्लू0 के भीतर आ रहे वृक्षों का उद्यान/वन विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रतिकर। • स्थावार परिसम्पत्तियों का प्रतिकर/पुनर्निर्माण।
3	लोक उपयोगिताओं की हानि	लोक उपयोगिता स्वामी	• लोकउपयोगिताओं का प्रतिकर /पुनर्निमाण।

5.5 विस्थापन से प्रभावित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41 एवं 42 के निम्न प्राविधान लागू होंगे–

41. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबन्धः–

(1) भूमि का कोई भी अर्जन, यथा सम्भव, अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया जायेगा।

(2) यदि ऐसा अर्जन होता है तो ऐसा केवल साध्य अन्तिम अवलम्ब के रूप में किया जायेगा।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों मे किसी भूमि के अर्जन या अन्यसंक्रामण की दशा में, संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन के अनुसूचित क्षेत्रों में,यथास्थिति, सम्बन्धित ग्रामसभा या पंचायतों या स्वशासी जिला परिषदों की पूर्व सहमति ऐसे क्षेत्रों में भूमि अर्जन के, जिसके अन्तर्गत अत्यावश्यकता की दशा में अर्जन भी है, सभी मामलों में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व समुचित स्तर पर अभिप्राप्त की जायेगी:

परन्तु पंचायतों और स्वशासी जिला परिषदों की सहमति उन मामलों में अभिप्राप्त की जायेगी, जहां ग्राम सभा अस्तित्व में नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है।

(4) किसी अक्षेपक निकाय की ओर से भूमि के अर्जन को अंतर्वलित करने वाली ऐसी किसी परियोजना की दशा में, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कुटुम्बों का अस्वैच्छिक विस्थापन अंतर्वलित है, एक विकास परियोजना ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाय, उनमें भूमि सम्बन्धी उन अधिकारों का, जो शोध्य है किन्तु जिनका परिनिर्धारण नहीं किया गया है, परिनिर्धारण करने तथा भूमि अर्जन सहित एक विशेष अभियान चलाकर अन्यसंक्रामित भूमि पर अनुसूचति जनजातियों और साथ ही अनुसूचित जातियों के हकों को बहाल करने सम्बन्धी प्रक्रिया के ब्यौरे अधिकथित करते हुए तैयार की जायेगी।

(5) विकास योजना में गैरा वन्य भूमि पर पांच वर्ष की अवधि के भीतर वैकल्पिक ईंधन, चारे और गैरकाष्ट वन्य उपज संसाधनों का विकास करने सम्बन्धी एक ऐसा कार्यक्रम भी होगा जो जनजातीय समुदायों और साथ ही अनुसूचित जातियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

(6) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि का अर्जन किये जाने की दशा में, शोध्य प्रतिकर की कम से कम एक तिहाई रकम का संदाय प्रभावितों कुटुम्बों को प्रारम्भ में ही पहली किश्त के रूप में किया जायेगा और शेष रकम का संदाय भूमि का कब्जा ग्रहण किये जाने के पश्चात किया जायेगा।

I/76046/2022

(7) ऐसे पुनर्वासित क्षेत्रों को, जिनमें प्रधानतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते है, उस सीमा तक, जो समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय, सामुदायिक और सामाजिक समूहन के लिए निःशुल्क भूमि मिलेगी।

(8) जनजातीय लोगों की भूमि या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भूमियों का तत्समय प्रवृत्त विधियों और विनियमों की अवहेलना करके किया गया कोई अन्य संक्रामण अकृत और शून्य माना जायेगा और ऐसी भूमियों के अर्जन की दशा में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी फायदे मूल जनजातीय भू-स्वामियों अथवा अनुसूचित जाति से संबद्ध भू-स्वामियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(9) प्रभावी अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वन्य निवासियों और अनुसूचित जातियों को, जिनको प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त हैं, सिंचाई या जल-विद्युत परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएंगे।

(10) जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रभावित कुटुंबों को जिले के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, वहां उन्हें पचास हजार रूपये की एक बारगी हकदारी के साथ अतिरिक्त पच्चीस प्रतिशत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन फायदे संदत्त किये जाएंगे जिन्हें वे धनीय रूप में पाने के हकदार होंगे।

42. आरक्षण और अन्य फायदे।

(1) वे सभी फायदे, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित क्षेत्रों में आरक्षण संबधी उपलब्ध फायदे भी हैं, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भी मिलते रहेंगे।

(2) उन सभी अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध प्रभावित कुटुंबों को, जो संविधान की पांचवी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में या छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, तो उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपयोग किये जा रहे सभी कानूनी रक्षोपाय, हकदारियां और फायदे उन क्षेत्रों में भी, जहां उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, इस बात पर विचार किये बिना कि पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र उक्त पांचवी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र या उक्त छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र, है या नहीं, प्रदान किए जाते रहेंगे।

(3) यहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन सामुदायिक अधिकारों का परिनिर्धारण किया जा चुका है, वहां उनको धनीय राशि में परिमाणित किया जाएगा और ऐसे संबद्ध व्यष्टिक को, जिसको भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित किया गया है, ऐसे सामुदायिक अधिकारों में उसके हिस्से के अनुपात में उसका संदाय किया जायेगा।

6.लोक परामर्श एवं सहभागिता

(1) सरकार द्वारा परियोजना गठन एवं मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के समय परियोजना प्रभावित व्यक्तियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परमार्श किया जाता रहा है। औपचारिक जन सुनवाई प्रकिया के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के बीच एस0आई0ए0 रिपोर्ट को प्रसारित किया गया है। अक्टूबर 2020 में आयुक्त कुमाऊँ मण्डल की अध्यक्षता में परियोजना समन्वय समिति (पी0सी0सी0) का गठन किया गया है जिसमें राज्य सरकार, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड एवं जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व है। पी0सी0सी0 की बाद की बैठकों में सभी छः प्रभावित ग्रामों से दो-दो प्रतिनिधियों को भी औपचारिक रुप में सम्मिलित किया गया है।

(2) यू0पी0डी0सी0सी0 तथा संबधित पी0आई0यू0 विभिन्न हितधारकों के साथ निरन्तर परामर्श करेंगे। प्रत्येक पी0आई0यू0 प्रभावित व्यक्तियों के साथ समन्वय के लिए औपचारिक रुप से एक अधिकारी नामित कर अधिकारी का नाम परियोजना क्षेत्र में प्रकट करेगा। सभी पी0आई0यू0 में उपलब्ध परियोजना से संबंधित जानकारी प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी। परियोजना से संबंधित सभी अद्यतन सूचनाएं परियोजना की वेबसाइट http://www.jamranidam.com पर अपलोड की जाएगी।

(3) उक्तानुसार सुझाई गई परामर्श प्रक्रिया के अतिरिक्त आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम में निर्धारित औपचारिक परमार्श तंत्र प्रक्रिया भूमि अर्जन प्रकिया के दौरान कार्यात्मक होगी।

7. कियान्वयन व्यवस्था

(1) यू0पी0डी0सी0सी0 पी0आई0यू0 जमरानी तथा पी0आई0ए0 यू0जे0वी0एन0एल0 के लिए नोडल एजेन्सी होगी। यू0पी0डी0सी0सी0 परियोजना के समग्र समन्वय हेतु परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी0एम0यू0) के रुप में

भी कार्य करेगी। यू0पी0डी0सी0सी0 में अन्य क्रियान्वयन इकाईयों यथा यू0पी0जे0एन0एल0 व यू0पी0सी0एल0
I/76046/2022के प्रतिनिधि होंगे। भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन कार्यों में सभी पी0आई0यू0 से समन्वय हेतु यू0पी0डी0सी0सी0 स्तर पर एक सामाजिक इकाई जिसमें एक केन्द्रित व्यक्ति हो, पर विचार किया जा सकता है।

(2) परियोजना निष्पादन के लिए दो पृथक–पृथक पी0आई0यू0/पी0आई0ए0 स्थापित की गई हैं पी0एम0यू0 को रिपोर्ट करेंगी। परियोजना के जलाशय एवं सिंचाई घटक के नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए यू0पी0डी0सी0सी0 के अधीन पी0आई0यू0जे0 की स्थापना की गई है तथा जल विद्युत घटक हेतु पी0आई0ए0 यू0जे0वी0एन0एल0 की स्थापना की गई है। यू0जे0वी0एन0एल0 के अधीन पी0आई0ए0 में ट्रांसमिशन लाइन घटक के लिए एक अलग इकाई होगी जिसमें यू0पी0सी0एल0 के अधिकारी सम्मिलित होंगे। परियोजना के अधीन भूमि अर्जन तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहायता हेतु पी0आई0यू0जे0 के पास आवश्यक सहायकों सहित एक पूर्णकालिक सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ होगा। अन्य पी0आई0ए0 भूमि अर्जन तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन गतिविधियों के लिए पूर्णकालिक सामाजिक विशेषज्ञों या समन्वय अधिकारियों को नामित करेंगी।

(3) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अधिनियम की धारा 43(1) के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को पुनर्वासन एवं पुनव्यर्वस्थापन हेतु प्रशासक नियुक्त किया गया है। आयुक्त कुमाऊँ को अधिनियम की धारा 44(1) के अनुसार पुनर्वासन एवं पुनव्यर्वस्थापन आयुक्त नियुक्त किया गया है।

8. अनुश्रवण और मूल्यांकन

(1) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरुप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं की समीक्षा व निगरानी हेतु एक राज्य निगरानी समिति पूर्व में ही स्थापित की जा चुकी है।

(2) परियोजना अपने विभिन्न घटकों के तहत तैयार की जाने वाले पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन योजना की निरंतर निगरानी और अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुरुप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के कियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा के लिए कलेक्टर की अध्य क्षता में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन किया जाएगा।

(3) सभी पी0आई0यू0 तिमाही पुनर्वास कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण प्रगति रिपोर्ट को समीक्षा और रिकॉर्ड हेतु यू0पी0डी0सी0सी0 को प्रस्तुत करेंगे।

9. उच्च स्तरीय समिति के निर्णय अधिकार (DECISION POWERS OF HIGH POWER COMMITTEE)

जमरानी बांध–बहुउद्देशीय परियोजना की पुनर्वास नीति लागू होने के उपरान्त नीति की व्यावहारिक कठिनाईयों या प्रभावित परिवारों से सम्बन्धित किसी अन्य बिन्दु के सम्बन्ध में निर्णय, जो कि इस पुनर्वास नीति से आच्छादित नहीं हो रहे हैं, पर निर्णय लेने का अधिकार शासन द्वारा जमरानी बांध–बहुउद्देशीय परियोजना हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति (HIGH POWERED COMMITTEE) को होगा।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 14-11-2022 14:23:03

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

I/76045/2022

Resettlement and Rehabilitation Policy For Jamrani Dam Multipurpose Project, 2022

Uttarakhand Project Development & Construction Corporation Ltd.

(UPDCCL) Government of Uttarakhand (GoUK)

I/76045/2022

TABLE OF CONTENTS

Abbreviations....2

Definition....3

1. Project Background....4

2. Land Acquisition Requirement & Scope of Resettlement Impact....4

3. Objectives of the Policy....5

4....Legal Framework. 6

4.1 The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013....6

4.2 The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006....6

4.3 The Van Panchayat Act, 1931....6

4.4 Legal Framework for Transmission Lines....7

4.5 Policy Principles for JDMP....8

5....Project Entitlements. 10

5.1 Entitlement Matrix for Dam & Reservoir Component....10

5.2 Infrastructural facilities at Resettlement Site....15

5.3 Entitlement Matrix for Irrigation Canal Component....16

5.4 Entitlement Matrix for Transmission Line Component....18

6. Public Consultation and Participation....20

7. Implementation Arrangement....20

8....Monitoring & Evaluation. 21

I/76045/2022

Abbreviations

GoUK	Government of Uttarakhand
JDMP	Jamrani Dam Multipurpose Project
Km	Kilometer
Kv	Kilo Volt
m	Meter
MCM	Million Cubic Meter
MU	Million Units
MW	Mega Watt
PIA	Project Implementing Agency
PCC	Project Coordination Committee
PIU	Project Implementation Unit
PIUJ	Project Implementation Unit Jamrani
PMAY	Pradhan Mantri Awas Yojna
PMU	Project Management Unit
R&R	Rehabilitation and Resettlement
RFCTLARR	Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act
RL	Reduced Level
ROW	Right of Way
SIA	Social Impact Assessment
SC/ST	Scheduled Caste / Scheduled Tribe
UID	Uttarakhand Irrigation Department
UJVNL	Uttarakhand Jal Vidut Nigam Limited
UKSDM	Uttarakhand Skill Development Mission
UPCL	Uttarakhand Power Corporation Limited
UPDCC	Uttarakhand Project Development and Construction Corporation

I/76045/2022

Definition

Term	Definition for the purpose of this policy
Category I affected family	Title holder family residing in submergence area and physically displaced. Or Title holder family residing in the project affected revenue villages and having severe impact.
Category II affected family	Titleholder family losing land but not residing in submergence area or project affected revenue villages. Or Title holder family residing in project affected revenue villages and having partial impact.
Category III affected family	Non-title holder family residing in the submergence area and physically displaced. Or Adult of either gender belonging to Category I and defined as separate affected family as per RFCTLARR Act
Category IV affected family	Non-title holder family, affected but not physically displaced such as agricultural and commercial tenants, leaseholders and sharecroppers.
Vulnerable Family	Affected family belonging to below poverty line (BPL card holders or certified by revenue authorities), landless family, family headed by elderly (sole income earner), family headed by women (primary income earner), orphans, physically handicapped, SC/ST family and those without legal title to land (leaseholders/tenants/sharecroppers and other non-title holders).
Cut-off date	The cut-off date for eligibility for compensation and assistance in case of titleholders will be the date of notification under Section 11 of RFCTLARR Act. For non-titleholders the cut-off date for eligibility shall be the date of project census survey or detailed measurement survey for respective components.
Submergence area	Submergence area will be the land in upstream of dam up-to the elevation of top of dam which is at RL 765.60 m.
Severe Impact	Family residing in the project affected revenue villages and losing 50 % or more land to the project.
Partial Imapct	Family residing in the project affected revenue villages and losing less than 50 % land to the project.
Other definitions	Other terms used in this R&R policy shall be as defined in Chapter-1, Section-3 of RFCTLARR Act. 2013 (https://dolr.gov.in)

I/76045/2022

1. Project Background

(1) Jamrani Dam Multipurpose Project (JDMP) envisages the construction of a dam across the river Gola, a tributary of river Ramganga in District Nainital, State of Uttarakhand. Being a multipurpose project, the main components are as below.

- **Reservoir:** This component comprises of construction of a 150.60 m high concrete gravity dam to be constructed on Gola river at a location called Jamrani located about 10 Km upstream of Gola Barrage at Kathgodam.

- **Irrigation Canal Construction & Rehabilitation:** This component includes renovation/remodeling of 168.62 Km long irrigation canals and construction of 21.00 Km long new canals along with construction of 278.24 Km long water courses.

- **Drinking Water Supply:** It comprises of providing 42.70 MCM drinking water to Haldwani town for a projected population of year 2051.

- **Hydropower Generation (14 MW) and Transmission:** The component comprises generation of 63.4 MU hydropower at toe of dam and evacuation of the same by 9 Km long 33 kV transmission lines to substation located at Ranibagh. Overhead double circuit double pole transmission lines shall be laid from powerhouse to Ranibagh substation. From Ranibagh substation, 7.0 Km long underground 33 kV transmission cable shall be laid till Kathgodam grid.

(2) Irrigation Department Uttarakhand has been entrusted with the responsibility of execution of the project. In year 2010 Uttarakhand Project Development & Construction Corporation Ltd. was created by the Govt. of Uttarakhand (GoUK) to provide construction and consultancy services in the field of Civil Engineering. UPDCC will act as Nodal Agency for the project and coordinate with other departments responsible for various components of the project.

(3) Project Implementation Unit Jamrani (PIUJ) has been established under UPDCC for planning and implementation of Reservoir and Irrigation component of the project. For implementation of hydropower component under the project separate PIA under UJVNL has been formed. The PIA under UJVNL will have a separate unit for transmission line component involving officials from UPCL.

(4) As per the project design, acquisition of private land will be required for various components, which will be taken up by concerned PIU/PIA including implementation of Resettlement & Rehabilitation for respective components. The GoUK has formulated this specific R&R Policy for land acquisition and resettlement management to be implemented under the proposed JDMP. The High-Powered Committee (HPC) is constituted for the project for taking administrative and financial decisions shall have the authority for any modifications or amendments aimed at betterment of policy provisions for affected persons.

2. Land Acquisition Requirement & Scope of Resettlement Impact

(1) During the project design appropriate engineering options have been considered to minimize the land requirement for the project. Attempts are made to maximize the utilization of available government land. However as per preliminary assessment, in addition to government land owned by various departments some private land is also required. The summary of land acquisition requirement and scope of resettlement impact for various components are presented in Table 1.0.

I/76045/2022

Table 1: Land Acquisition Requirement and Scope of Resettlement Impact

Sl No	Component	Type of Land Acquisition Requirement and Scope of Resettlement Impact
1	Construction of Dam & Reservoir	• Reserve Forest Land owned by forest department will be transferred to Irrigation Department. No resettlement impact due to acquisition of forest land. • Van Panchayat (Protected/ Village Forest) Land owned by forest department will be transferred to Irrigation Department resulting loss of forest rights of villagers. • Revenue land owned by State Government will be transferred to Irrigation Department may impact non-titleholders if any. • Permanent acquisition of private land. Loss of agricultural land, loss of homestead land, loss of livelihood, loss of shelter and other assets resulting displacement of people and loss of livelihood. • Permanent acquisition of community land. Loss of community resources including land and other assets.
2	Irrigation Canal construction & Rehabilitation	• Reserve Forest Land owned by forest department will be transferred to Irrigation Department. No resettlement impact due to acquisition of forest land. • Van Panchayat (Protected/ Village Forest) Land owned by forest department will be transferred to Irrigation Department resulting loss of forest rights of villagers. • Revenue land owned by State Government will be transferred to Irrigation Department may impact non- titleholders if any. • Permanent acquisition of private land. Loss of agricultural land, loss of homestead land, loss of livelihood, loss of shelter and other assets.
3	Hydropower Generation and Transmission	• The power house will be constructed within the forest land for reservoir component and no additional land will be required. • For transmission line, no permanent or temporary land acquisition is required. Only user right will be utilized. It may have temporary impact on land and crops.

(2)Based on the type of land requirement and resettlement impact specific entitlements are proposed under this policy as per the available legal framework.

3. Objectives of the Policy

This policy has been formulated to guide the land acquisition process and determination of various entitlements including resettlement and rehabilitation of project affected persons under various components proposed under the project. The policy tries to address the issue of relocation of displaced persons and livelihood restoration during the process of rehabilitation in consultation with the affected persons. Efforts are made to minimize the hardships of resettlement process by providing adequate compensation and assistance through proactive action from the executing agency. Separate resettlement scheme for each component will be prepared based on the policy provisions outlined here. This policy ensures that the affected families improve, or at least regain their previous standard of living, earning capacity, production levels and restore their socio- cultural status.

4. Legal Framework

This policy has been formulated primarily on the basis of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" and related guidelines adopted by Go UK.. Main features of applicable legal and policy framework are outlined below:

I/76045/2022

4.1 The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(i) The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has been effective from January 1, 2014. The Go UK has adopted the Central Act and formulated and notified related rules in 2015.

(ii) The aims and objectives of the Act include: (i) to ensure, in consultation with institutions of local self-government and Gram Sabha's established under the Constitution of India, a humane, participative, informed and transparent process for land acquisition for industrialization, development of essential infrastructural facilities and urbanization with the least disturbance to the owners of the land and other affected families; (ii) provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired or are affected by such acquisition; (iii) make adequate provisions for such affected persons for their rehabilitation and resettlement; (iv) ensure that the cumulative outcome of compulsory acquisition should be that affected persons become partners in development leading to an improvement in their post-acquisition social and economic status and for matters connected therewith or incidental thereto.

(iii) Section 107 & 108 of the Act empowers the state government to enact any policy to enhance or add to the entitlements enumerated under the principal act which confers higher compensation than payable under this Act or make provisions for rehabilitation and resettlement which is more beneficial than provided under this Act. This policy confirms the above provision of the RFCTLARR Act in addition to proposed minimum compensation based on a multiple of market value as per Schedule I and R&R entitlements as per Schedule II of the Act.

4.2 The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

(i) This Act recognizes and vests forest rights and occupation on forest land in forest dwellings to scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded. The Act provides for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land.

(II) The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Act, 2006 also known as the Forest Rights Act recognizes the 'rights' of the forest dwellers (mainly scheduled tribes) to access and use the forest and its resources by providing legal sanctity to that rights and also vests these forest dependent communities with the responsibility to sustainably use, conserve and manage these forest resources and contribute towards strengthening the conservation of these vital natural resources.

4.3 The Van Panchayat Act, 1931.

(i) Panchayat in the state of Uttarakhand is a unique system of Community Forest Management started in 1921, where people are allowed not only to use the minor forest products but manage it in a sustainable way through institution called "Van Panchayat" at Village Panchayat level. It was formally legalized through the Van Panchayat Act, 1931.

(ii) The major objective of Van Panchayat is to rejuvenate and manage patches of protected forests for local use; it also prevents neighboring villages from intruding into this zone, once formally demarcated as a Van Panchayat Forest. Protection of forest from fire, illicit felling and preventing damage to trees due to lopping along with grazing is also the responsibility of Van Panchayats. Responsibilities of VPs are laid out in the law to ensure that village forest land not to be diverted in any other utilization of forest produce to the best advantage of village community.

(iii) A Van Panchayat is constituted with a committee of 9 members including the head called "Surpanch". Its functioning is administered by the Sub District Magistrate of revenue department. The management of community forest is generally carried out by the van panchayat through watching the forest on rotational basis or a guard is appointed and salary is paid by community contribution. Van panchayat also grants permission for cutting grass, grazing and collection of fallen wood and charge fees with government permission. Rights of extraction of resin, NTFPs and trees are also given to Van Panchayats on recommendation of government. It also has right to award punishment or imposition of fine for violating the rules. Besides, each Van Panchayat makes its own rules and regulation as per needs and wisdom.

4.4 Legal Framework for Transmission Lines

In the absence of specific legal or policy framework with regard to land acquisition/compensation for 33 kV distribution lines, it is proposed to lay distribution lines for power component of the project under the ambit of Electricity Act, 2003. The provisions stipulated in section 67-68 of the Electricity Act, 2003 read with section 10 & 16 of the Indian Telegraph Act, 1885 governs the compensation. As per the provision of Indian Telegraph Act, 1885 Section 10 b UPCL is not required to acquire any land. However, compensation for all damages are paid to the individual land owner as per the provision of Section-10 d of Indian Telegraph Act, 1885. The provisions in the Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1885 regarding compensation for laying of transmission lines are as follows:

The Electricity Act, 2003, Part-VIII, Section 67 & 68

Section 67 (3-5):

(3) *A licensee shall, in exercise of any of the powers conferred by or under this section and the rules made thereunder, cause as little damage, detriment and inconvenience as may be, and shall make full compensation for any damage, detriment or inconvenience caused by him or by any one employed by him.*

(4) *Where any difference or dispute [including amount of compensation under sub-section (3)] arises under this section, the matter shall be determined by the Appropriate Commission.*

(5) *The Appropriate Commission, while determining any difference or dispute arising under this section in addition to any compensation under sub-section (3), may impose a penalty not exceeding the amount of compensation payable under that sub-section.*

Section 68 (5 & 6):

(5) *Where any* ***tree standing or lying near an overhead line or where any structure or other object which has been placed or has fallen near an overhead line*** *subsequent to the placing of such line, interrupts or interferes with, or is likely to interrupt or interfere with, the conveyance or transmission of electricity or to interrupt or interfere with, the conveyance or transmission of electricity or the accessibility of any works, an Executive Magistrate or authority specified by the Appropriate Government may, on the application of the licensee, cause the tree, structure or object to be removed or otherwise dealt with as he or it thinks fit.*

(6) *When disposing of an application under sub-section (5), an Executive Magistrate or authority specified under that sub-section shall, in the case of any tree in existence before the placing of the overhead line,* ***award to the person interested in the tree such compensation as he thinks reasonable, and such person may recover the same from the licensee.***

Explanation. - For purposes of this section, the expression "tree" shall be deemed to include any shrub, hedge, jungle growth or other plant.

The Indian Telegraph Act, 1885, Part-III, Section 10

Section 10 *– The telegraph authority may, from time to time, place and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property, Provided that*

a) *the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;*

b) *the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or post; and*

c) *except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the permission of that authority; and*

d) *in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.*

Section 16 of the Indian Telegraph Act, 1885 which stipulates as under:

Section16. Exercise of powers conferred by section 10, and disputes as to compensation, in case of property other than that of a local authority:

(1) *If the exercise of the powers mentioned in Section 10 in respect of property referred to in clause (d) of that section is resisted or obstructed, the District Magistrate may, in his discretion, order that the telegraph authority shall be permitted to exercise them.*

(2) *If, after the making of an order under sub section (1), any person resists the exercise of those powers, or, having control over the property, does not give all facilities for this being exercised, he shall be deemed to have committed an offence under section 188 of the Indian Penal Code (45 of 1860).*

4.5 Policy Principles for JDMP

I/76045/2022

The specific policy principles and procedures to be followed under the JDMP with regards to compensation and R&R entitlements will be the following:

(i) Screen the project early on to identify past, present, and future involuntary resettlement impacts and risks. Determine the scope of resettlement planning through a survey and/or census of displaced persons, specifically related to resettlement impacts and risks.

(ii) Carry out meaningful consultations with affected persons, host communities, and concerned nongovernment organizations. Inform all displaced persons of their entitlements and resettlement options. Ensure their participation in planning, implementation, and monitoring and evaluation of resettlement programs. Pay particular attention to the needs of vulnerable groups, especially those below the poverty line, the landless, the elderly, women and children, and Indigenous Peoples, and those without legal title to land, and ensure their participation in consultations. Support the social and cultural institutions of displaced persons and their host population. Where involuntary resettlement impacts and risks are highly complex and sensitive, compensation and resettlement decisions should be preceded by a social preparation phase.

(iii) Improve, or at least restore, the livelihoods of all displaced and affected persons through; (a) land-based resettlement strategies when affected livelihoods are land-based where possible or cash compensation at replacement cost for land when the loss of land does not undermine livelihoods, (b) prompt replacement of assets with access to assets of equal or higher value, (c) prompt compensation at full replacement cost for assets that cannot be restored, and (d) additional revenues and services through benefit-sharing schemes where possible.

(iv) Provide project affected persons with needed assistance, including the following:
(a) if there is relocation, secured tenure to relocation land, better housing at resettlement sites with comparable access to employment and production opportunities, integration of resettled persons economically and socially into their host communities, and extension of project benefits to host communities; (b) transitional support and development assistance, such as land development, credit facilities, training; and (c) civic infrastructure and community services, as required.

(v) Give special attention to vulnerable groups which include affected family belonging to below poverty line (BPL card holders or certified by revenue authorities), landless family, family headed by elderly (sole income earner), family headed by women (primary income earner), orphans, physically handicapped, SC/ST family and those without legal title to land (leaseholders/tenants/sharecroppers and other non-title holders) by providing additional assistance for their upliftment to at least national minimum standards.

(vi) Develop procedures in a transparent, consistent, and equitable manner if land acquisition is through negotiated settlement to ensure that those people who enter into negotiated settlements will maintain the same or better income and livelihood status.

(vii) Ensure that displaced persons without titles to land or any recognizable legal rights to land are eligible for resettlement assistance and compensation for loss of non-land assets.

(viii) Prepare R&R scheme elaborating on the entitlements of affected persons, the income and livelihood restoration strategy, institutional arrangements, monitoring and reporting framework, budget, and time-bound implementation schedule.

(ix) Disclose draft and final R&R scheme, including documentation of the consultation process in a timely manner, in an accessible place and a form and language(s) understandable to displaced persons and other stakeholders.

(x) Conceive and execute involuntary resettlement as part of a development project or program. Include the full costs of resettlement in the presentation of project's costs and benefits. For a project with significant involuntary resettlement impacts, consider implementing the involuntary resettlement component of the project as a stand-alone operation.

(xi) Pay compensation and provide other resettlement entitlements before displacement. Implement the R&R scheme under close supervision throughout project implementation.

(xii) Monitor and assess resettlement outcomes, their impacts on the standard of living of affected persons and disclosure of monitoring reports.

(xiii) No permanent land acquisition will be applied for transmission line. Transmission line alignment will completely avoid impact to any kind of structure/buildings. Construction of lines shall follow existing roads (wherever existing) and other places. Construction shall be planned during the off-crop season and in case of unavoidable impacts the losses will be compensated. Assessment of compensation for loss of crop and trees will be done by the UPCL with the help from revenue department and horticulture/forest department as appropriate. Provide compensation prior to construction of transmission lines for temporary impacts.

I/76045/2022

(xiv) The cut-off date for eligibility for compensation and assistance in case of titleholders will be the date of notification under Section 11 of RFCTLARR Act. For non-titleholders the cut-off date for eligibility shall be the date of project census survey or detailed measurement survey for respective components.

(xv) In case of discrepancies in any provision in English and Hindi versions of this R&R Policy the English version shall apply.

5. Project Entitlements

On the basis of above legal framework and policy analysis this R&R policy has outlined different project entitlements keeping in view the type of land acquisition and resettlement impacts for different components of the project. The unit of entitlement under this policy will be the "affected family" as defined in RFCTLARR Act. Separate entitlement matrix for each component is presented below.

5.1 Entitlement Matrix for Dam & Reservoir Component

(i) The Dam & Reservoir component will cause loss of land for all affected persons including physical displacement of some of them. Based on the assessment of land loss, majority of landholders have a landholding of less than 1 acre. Approximately 25 percent landholders are being physically displaced due to the proposed land acquisition under this component. The RFCTLARR prescribes land for land loss in case of irrigation projects to affected landless/marginal farmer as far as possible. In this project context due to limited land availability and keeping in view the quantum of physical displacement the affected persons are categorized into various categories and offered specific entitlements. During preparation of this project specific R&R policy all stakeholders including affected communities are also consulted and their views are incorporated. The detailed description of various categories are presented in Table 2 below.

Table 2: Categorization of Project affected people and eligibility

Category	Description of Category
Category I	Title holder family residing in submergence area and physically displaced. Or Titleholder family residing in the project affected revenue villages and having severe impact.
Category II	Title holder family losing land but not residing in submergence area or project affected revenue villages. Or Titleholder family residing in project affected revenue villages and having partial impact.
Category III	Non-title holder family residing in the submergence area and physically displaced. Or Adult of either gender belonging to Category I and defined as separate affected family as per RFCTLARR Act
Category IV	Non-title holder family, affected but not physically displaced such as agricultural and commercial tenants, leaseholders and sharecroppers.

(ii) Under the dam and reservoir component it is proposed that the entitlement for alternative resettlement land of 1 acre developed agricultural land and 200 sqm of developed residential plot will be provided to titleholder families belonging to Category I in addition to the compensation for land and other assets. Other affected titleholder families belonging to Category II will be provided with cash compensation for 1 acre of land at the value of resettlement site land. Rest of the affected families belonging to Category III will be entitled to 50 sqm residential plot at resettlement site along with constructed house as per PMAY specifications or equivalent cash for house construction. Non-titleholder affected families such as agricultural tenants, sharecroppers, leaseholders are categorized under a separate Category IV who will be entitled for various compensation and assistance as provided in the entitlement matrix. Proposed entitlement matrix for dam and reservoir component is presented below in Table 3.

I/76045/2022

Table 3: Entitlement Matrix for Dam & Reservoir Component

Sl No	Impact Category	Unit of Entitlement	Details of Entitlement
A	**Compensation**		
1	Loss of land by Category I family	a) Titleholder family residing in submergence area and physically displaced. b) Titleholder family residing in the project affected revenue villages and experiencing severe impact	• One acre fully developed agricultural land at resettlement site • Compensation for acquired land assessed as per Schedule I of RFCTLARR Act will be paid. • For landholders who are minors to be given compensation for land in the form of a fixed deposit payable at the time of becoming an adult. • 200 sqm developed residential plot at resettlement site. • If land for land is not opted by the affected family, one time payment of Rs. 19.5 lacs[1] will be paid in addition to compensation for acquired land assessed as per Schedule I of RFCTLARR Act. • Registration charges/Stamp duty will be payable by the project. • The land for house allotted to the affected family shall be free from all encumbrances. • The land or house allotted may be in the joint names of wife and husband of the affected family. • 12% interest from date of publication of notification of SIA till the date of award of the Collector as per RFCTLARR Act.
2	Loss of land by Category II family	a) Titleholder family losing land but not residing in submergence area project affected revenue villages.	• One time payment of Rs. 19.5 lacs will be paid in addition to compensation for acquired land assessed as per Schedule I of RFCTLARR Act. • For landholders who are minors to be given compensation for land in form of a fixed deposit payable at the time of becoming an adult. • Registration charges/Stamp duty will be payable by the project. • 12% interest from date of publication of notification of SIA till the date of the award of the Collector as per RFCTLARR Act.
		b) Titleholder family residing in project affected revenue villages and experiencing partial impact.	
3	Special relocation provision for Category III	a) Non-title holder family residing in the submergence area and physically	• A constructed house in a 50 sqm plot area conforming to PMAY specifications. or • If plot and/or house is not opted by any affected family, one time payment of Rs. 2.95 lacs[2] cash compensation for such option will

[1] This amount has been calculated on the basis of current maximum circle rate of similar land in the villages in which resettlement has been proposed. Available current price index/updated circle rate will apply during the time of payment of compensation.

[2] This amount has been calculated on the basis of current circle rate for 50 sq. mtr. of land in the villages in which resettlement has been proposed and as per the guidelines for construction of houses under PMAY-G. Available current price index/updated circle rate will apply during the time of payment of compensation.

I/76045/2022

	——	displaced. b) Adult of either gender belonging to Category I and defined as separate affected family as per RFCTLARR Act	be paid. • Registration charges/Stamp duty will be payable by the project. (JDMP) • The land for house allotted to the affected family shall be free from all encumbrances. • The land or house allotted may be in the joint names of wife and husband of the affected family.
4	Loss of private Structure	Titleholder affected family belonging to relevant categories, losing residential /commercial and other structures.	• Market value of structures without depreciation to be determined as per Section 29 of RFCTLARR Act. • 100 % solatium on market value of the structures. • Affected family losing shops will be entitled for one constructed shop of 15 sqm plinth area at resettlement site in lieu of compensation of lost shop. • Right to salvage materials from the lost structure and other assets.
		Non-titleholder (encroachers /squatters) affected family belonging to category III, losing residential/ commercial and other structures.	• Market value of structures without depreciation. • Right to salvage materials from the lost structure and other assets. • Affected family losing shops will be entitled for one constructed shop of 15 sqm plinth area at resettlement site in lieu of compensation of lost shop.
5	Loss of trees and crops	Affected family losing trees and crops	• Market value of trees and standing crops as determined by State Horticulture/ Forest/ Agriculture department shall be paid. • 100 % solatium on market value of the trees/crops. •
B	**R&R Assistance**		
1	Loss of Cattle Shed	Affected family losing cattle shed	• One time reconstruction assistance of Rs, 25,000/-(twenty five thousand RS) with current price index.
2	Loss of commercial structure	Affected family losing commercial structure	• One time reconstruction assistance of Rs, 25,000/-(twenty five thousand RS) with current price index.
3	Grant to artisans, small traders and certain others	Affected family of an artisan, small traders or self-employed person or an affected family which owned non- agricultural land or commercial, industrial or institutional structure in the affected area which has been	• One time assistance of Rs, 25,000/- (twenty five thousand RS) with current price index.

		involuntarily displaced from the affected area due to land acquisition	
4	Annuity	Affected family	Rs 5.00(Five) Lakhs per affected family with current price index Or Annuity Policies of minimum Rs 2000/(two thousand RS) month for 20 years with current price index for agricultural laborer's.
5	Subsistence Grant	Displaced family	• Rs 3000(three thousand RS) per month for one year or one time grant of Rs 36000.00(thirty six thousand RS) with current price index.
6	Transportation Grant	Displaced family	• Rs 50000.00 (fifty thousand RS) with current price index for transportation of families, building and house materials, animals.
7	One time resettlement allowance	Affected family	• Rs 50000.00(fifty thousand RS) with current price index
8	Fishing rights	Affected family	• For commercial fishing, a maximum of one interested candidate from the titleholder affected families will be given proper training for fishing /hunting by the Department of Fisheries Uttarakhand. From the above interested candidates a self-help group/ cooperative society/ Mahaila mangal dal will be formed. Two beats in the reservoir will be reserved for these groups/society. Following relaxation in Uttarakhand State Water Management Fisheries and Collection Rules 2013 will be given to these groups / society 1- Rule no 10-(6): 50 % relaxation in Earnest money & Status (*Hasiyat*) certificate will be given for participating in the tender 2- Rule no 11-(3): 50% relaxation in stamp duty 3- Rule no 11-(4): Cent percent Relaxation in depositing 10% advance money. Further relaxation in depositing 25 % reserve price of the tender within three months after the date of agreement by the successful bidder. 4- In case of unavailability of interested candidates from affected families reserved beats will be awarded by way of fresh tenders as per provisions of Uttarakhand State Water Management Fisheries and Collection Rules 2013.
9	Commercial Development right	Affected family	• Affected family shall be given priority in any commercial / tourism related activities if carried out under the project.
10	Loss of Van Panchayat Land use	Affected family residing in project affected revenue villages.	• 300 days of minimum agricultural wage
11	Vulnerability assistance	Affected family belonging to below poverty line (BPL card holders and certified by revenue authorities), landless family, family headed by elderly (sole income earner),	• A lumpsum one time assistance amount of Rs 40000.00. (forty thousand RS)

1/76045/2022

		family headed by women (primary income earner), orphans, physically handicapped, SC/ST family and those without legal title to land (leaseholders/ tenants/ sharecroppers and other non-title holders).	
12	Loss of agricultural lease /tenancy	Registered agricultural lease holder/ tenant belonging to category IV and working in the affected area for three years prior to cut-off date for land acquisition.	• Rental deposit or unexpired lease amount (this will be deducted from compensation of lessor / owner) • A lumpsum one time assistance amount of Rs 25000.00(twenty five thousand RS). • Subsistence allowance of Rs 3000(three thousand RS) per month for one year or one time grant of Rs 36000 (thirty six thousand RS) with current price index.
13	Loss of residential / commercial lease /tenancy	Registered residential / Commercial lease holder/ tenant.	• Rental deposit or unexpired lease amount (this will be deducted from compensation of lessor / owner) • A lumpsum one time assistance amount of Rs 25000.00(twenty five thousand RS). • Subsistence allowance of Rs 3000(three thousand RS) per month for one year or one time grant of Rs 36000 (thirty six thousand RS) with current price index. • Rs 50000.00 (fifty thousand RS) with current price index for transportation of families, building and house materials, animals.
14	Loss of livelihood	One member of each affected family losing livelihood (agricultural land owners/ business owners /agricultural laborer's)	• Skill development training from UKSDM to interested affected persons.
C	**Community Property Resources**		
1	Loss of community property	a) Loss of community owned/ managed property b) Loss of public utilities/ Infrastructure	• Compensation of acquired community land assessed as per Schedule I of RFCTLARR Act. • Reconstruction of property resources or compensation without depreciation as per RFCTLARR Act.

(iii) Within the proposed reservoir area one large structure of religious significance known as Haidakhan Temple is affected and needs relocation. In consultation with affected temple trust, as a special measure considering the socio-cultural aspects of the temple the project has proposed to allocate 2.5 acre of land at nearby location in addition to compensation for structure as per the above entitlement matrix.

5.2 Infrastructural facilities at Resettlement Site

For resettlement of project displaced populations, as per provisions of Schedule III of RFCTLARR Act, following infrastructural facilities and basic minimum amenities which are not available shall be

1/76045/2022

provided by the Project to ensure that the resettled population in the new colony can secure for themselves a reasonable standard of community life and can attempt to minimize the trauma involved in displacement.

Table 4: Details Infrastructural facilities at Resettlement Site

S. N.	Details Infrastructural facilities	Unit/Specification
1	Roads within the resettled villages and an all- weather road link to the nearest pucca road	As per norms
2	Proper drainage as well as sanitation plans executed before physical resettlement	As per norms
3	Sources of safe drinking water for each family as per the norms prescribed by the Government	As per norms
4	Provision of drinking water for cattle	As per norms
5	Burial or cremation Ground, depending on the caste-communities at the site and their practices.	The resettled families would use the existing facility in host villages. The project authority would ensure that the host community does not object to it. In case of opposition, the project will make the necessary provision.
6	Grazing land as per State norms	As per norms
7	Fair Price Shop	As per norms
8	Electricity connections and street light	As per norms
9	Anganwadi's providing child and mother supplemental nutritional services	1
10	School as per the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009	1
11	Sub-health center within two kilometers range	As per norms
12	Playground/ Park for children	1
13	One community center for every hundred families	2
14	Places of worship and chowpal/tree platform for every fifty families for community assembly, of numbers and dimensions consonant with the affected area	4
15	Veterinary service center as per norms	As per norms
16	Basic irrigation facilities to the agricultural land	As per norms

5.3 Entitlement Matrix for Irrigation Canal Component

Under the irrigation canal the impact will be of linear nature for which, compensation and other assistance will be provided as per RFCTLARR Act and accordingly the following entitlement matrix has been formulated and presented below in Table 5.

Table 5: Entitlement Matrix for Irrigation Canal Component

Sl No	Impact Category	Unit of Entitlement	Details of Entitlement
A	Compensation		
1	Loss of land	Title holder family	• Compensation for acquired land assessed as per Schedule I of RFCTLARR Act. • Registration charges/Stamp duty will be payable by the project. • 12% interest from date publication of notification of SIA till the date of award of the Collector as per RFCTLARR Act. • For landholders who are minors to be given compensation for land in the form of a fixed deposit payable at the time of becoming an adult.

I/7604572022

2	Loss of private – Structure	Title holder affected family losing residential / commercial and other structures.	• Market value of structures without depreciation to be determined as per Section 29 of RFCTLARR Act. • 100 % solatium on market value of the structures. • Right to salvage materials from the lost structure and other assets.
		Non-title holder (Encroachers & Squatters) affected family losing residential /commercial and other structures.	• Market value of structures without depreciation. • Right to salvage materials from the lost structure and other assets.
3	Loss of trees and crops	Affected family losing trees and crops	• Market value of trees and standing crops as determined by State Horticulture/ Forest/ Agriculture department shall be paid. • 100 % solatium on market value of the trees/crops.
B	**R&R Assistance**		
1	Loss of Cattle Shed	Affected family losing cattle shed	• One time reconstruction assistance of Rs, 25,000/- (twenty five thousand RS) with current price index.
2	Loss of commercial structure	Affected family losing commercial structure	• One time reconstruction assistance of Rs, 25,000/- (twenty five thousand RS) with current price index.
3	Grant to artisans, small traders and certain others	Affected family of an artisan, small traders or self-employed person or an affected family which owned non-agricultural land or commercial, industrial or institutional structure in the affected area which has been involuntarily displaced from the affected area due to land acquisition	• One time assistance of Rs, 25,000/- (twenty five thousand RS) with current price index.
4	Annuity	Affected family	Rs 5.00(Five) Lakhs per affected family with current price index Or Annuity Policies of minimum Rs 2000/(two thousand RS) month for 20 years with current price index for agricultural laborer's.
5	Subsistence Grant	Displaced family	• Rs 3000 (three thousand RS) per month with current price index for one year.
6	Transportation Grant	Displaced family	• Rs 50000.00 (fifty thousand RS) with current price index for transportation of families, building and house materials, animals.
7	One time resettlement allowance	Affected family	• Rs 50000.00 (fifty thousand RS) with current price index
8	Vulnerability assistance	Affected family belonging to below poverty line (BPL card holders and certified by revenue authorities), landless family, family headed by elderly (sole income earner), family headed by women	• A lumpsum one time assistance amount of Rs 40000.00.(forty thousand RS)

I/76045/2022

		(primary income earner),orphans, physically handicapped, SC/ST family and those without legal title to land (leaseholders/ tenants/ sharecroppers and other non-title holders).	
9	Loss of agricultural lease /tenancy	Registered agricultural lease holder/ tenant working in the affected area for three years prior to land acquisition.	• Rental deposit or unexpired lease amount (this will be deducted from compensation of lessor / owner) • A lumpsum one time assistance amount of Rs 25000.00 (twenty five thousand RS) . • Subsistence allowance of Rs 3000(three thousand RS) per month for one year or one time grant of Rs 36000 (thirty six thousand RS) with current price index.
10	Loss of residential / commercial lease /tenancy	Registered residential / Commercial lease holder/ tenant	• Rental deposit or unexpired lease amount (this will be deducted from compensation of lessor / owner) • A lumpsum one time assistance amount of Rs 25000.00 (twenty five thousand RS). • Subsistence allowance of Rs 3000(three thousand RS) per month for one year or one time grant of Rs 36000(thirty six thousand RS) with current price index. • Rs 50000.00(fifty thousand RS) with current price index for transportation of families, building and house materials, animals.
11	Loss of Livelihood	One member of each affected family losing livelihood (agricultural land owners/ business owners /agricultural laborer's)	• Skill development training from UKSDM to interested affected persons.
C	**Community Property Resources**		
1	Loss of community property	a) Loss of community owned/ managed property b) Loss of public utilities/ infrastructure	• Compensation for acquired community land assessed as per Schedule I of RFCTLARR Act. • Reconstruction of property resources or compensation without depreciation as per RFCTLARR Act.

5.4 Entitlement Matrix for Transmission Line Component

Based on the legal framework discussed above only right of way will be utilized and no permanent land acquisition will be involved. For utilization of right of way compensation for crops and compensation/ restoration of utilities will be as per the entitlement matrix presented below in Table 6.

Table 6: Entitlement Matrix for Transmission Line Component

Sl No	Impact Category	Unit of Entitlement	Details of Entitlement
A	**Compensation**		
1	Loss of Crop & Trees for overhead lines	Affected family	• Crop compensation for ROW estimated by officials of Agriculture department. • Compensation for trees falling within ROW estimated by officials of Horticulture/ Forest department.

I/76045/2022

2	Loss of Crop/ Trees & other immovable assets for underground cable	Affected family	• Crop compensation for ROW estimated by officials of Agriculture department. • Compensation for trees falling within ROW estimated by officials of Horticulture/ Forest department. • Compensation/ Restoration of immovable assets
3	Loss of Public Utilities	Owner of utility	• Compensation/ Restoration of utilities without depreciation.

5.5 The following provisions of Section 41 and 42 of the Right to Fair Compensation and Transparency in land acquisition, Rehabilitation and resettlement Act, 2013 will be applicable in respect of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes affected by displacement-

41. Special provisions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.-

(1) As far as possible, no acquisition of land shall be made in the Scheduled Areas.

(2) Where such acquisition does take place it shall be done only as a demonstrable last resort.

(3) In case of acquisition or alienation of any land in the Scheduled Areas, the prior consent of the concerned Gram Sabha or the Panchayats or the autonomous District Councils, at the appropriate level in Scheduled Areas under the Fifth Schedule to the Constitution, as the case may be, shall be obtained, in all cases of land acquisition in such areas, including acquisition in case of urgency, before issue of a notification under this Act, or any other Central Act or a State Act for the time being in force:

Provided that the consent of the Panchayats or the Autonomous Districts Councils shall be obtained in cases where the Gram Sabha does not exist or has not been constituted.

(4) In case of a project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes families, a Development Plan shall be prepared, in such form as may be prescribed, laying down the details of procedure for settling land rights due, but not settled and restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive together with land acquisition.

(5) The Development Plan shall also contain a programme for development of alternate fuel, fodder and non-timber forest produce resources on non-forest lands within a period of five years, sufficient to meet the requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes.

(6) In case of land being acquired from members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, at least one-third of the compensation amount due shall be paid to the affected families initially as first instalment and the rest shall be paid after taking over of the possession of the land.

(7) The resettlement areas predominantly inhabited by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall get land, to such extent as may be decided by the appropriate Government free of cost for community and social gatherings.

(8) Any alienation of tribal lands or lands belonging to members of the Scheduled Castes in disregard of the laws and regulations for the time being in force shall be treated as null and void, and in the case of acquisition of such lands, the rehabilitation and resettlement benefits shall be made available to the original tribal land owners or land owners belonging to the Scheduled Castes.

(9) The affected Scheduled Tribes, other traditional forest dwellers and the Scheduled Castes having fishing rights in a river or pond or dam in the affected area shall be given fishing rights in the reservoir area of the irrigation or hydel projects.

(10) Where the affected families belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are relocated outside of the district, then, they shall be paid an additional twenty-five per cent. rehabilitation and resettlement benefits to which they are entitled in monetary terms along with a onetime entitlement of fifty thousand rupees.

42. Reservation and other benefits.-

(1) All benefits, including the reservation benefits available to the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes in the affected areas shall continue in the resettlement area.

(2) Whenever the affected families belonging to the Scheduled Tribes who are residing in the Scheduled Areas referred to in the Fifth Schedule or the tribal areas referred to in the Sixth Schedule to the Constitution are relocated outside those areas, than, all the statutory safeguards, entitlements and benefits being enjoyed by them under this Act shall be extended to the area to which they are resettled regardless of whether the resettlement area is a Scheduled Area referred to in the said Fifth Schedule, or a tribal area referred to in the said Sixth Schedule, or not.

(3) Where the community rights have been settled under the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of2007), the same shall be quantified in monetary amount and be paid to the individual concerned who has been displaced due to the acquisition of land in

proportion with his share in such community rights.

1776045/2022

6. Public Consultation and Participation

(i) The government has already engaged in consultation with various stakeholders including project-affected persons since project preparation and various stages of assessment process. The SIA report has been disseminated among the affected persons through a formal public hearing process. A project coordination committee (PCC) headed by Commissioner Kumaun has been formed having representation from State Government, UID, District administration in October 2020. In subsequent meetings of the PCC two representatives from each of the six affected villages have also been included as a part of formal process.

(ii) UPDCC and respective PIU's will be engaged in continuous consultation with various stakeholders. Each PIU will formally designate one person for coordinating with affected persons and details of such officials shall be disclosed in the project area. Project related information will be available at all PIU's and the same will be accessible to the affected persons. All updated information related to the project will be uploaded in the project website http://www.jamranidam.com.

(iii) In addition to the consultation process suggested above the formal consultative mechanism prescribed in RFCTLARR Act will be functional during land acquisition process.

7. Implementation Arrangement

(i) UPDCC will be the nodal agency for PIU Jamrani and PIA UJVNL. UPDCC will also function as Project Management Unit (PMU) for overall coordination of the project. The UPDCC will have representatives from other implementing agencies like UJVNL & UPCL. A social unit may be considered at the UPDCC level with a focal person to coordinate with all PIUs for land acquisition & R&R matters.

(ii) For project execution two different PIU/PIA have been established which will report to UPDCC. Project Implementation Unit Jamrani (PIUJ) has been established under UPDCC for planning and implementation of Reservoir and Irrigation component of the project while for the hydropower component PIA UJVNL has been formed. The PIA under UJVNL will have a separate unit for transmission line component involving officials from UPCL. The PIUJ will have one full-time Social Safeguard Expert with the required support staff to assist in implementing land acquisition and R&R activities under the project. Other PIUs will have full-time social experts or designated coordinating staff for land acquisition and R&R activities.

(iii) As per requirements of RFCTLARR Act various institutions will be set up by the State government. The Additional District Magistrate Nainital has been appointed as Administrator for R&R as per Section 43(1) of the Act. Commissioner Kumaun has been appointed as Commissioner for R&R as per Section 44(1) of the Act.

8. Monitoring & Evaluation

(i) As per the requirement of RFCTLARR Act a state monitoring committee for rehabilitation and resettlement has been already established for review and monitoring the implementation of rehabilitation and resettlement schemes and plans.

(ii) The project will ensure continuous monitoring and supervision of R&R scheme to be prepared under its various components. As per Section 45(1) of RFCTLARR Act Rehabilitation & Resettlement Committee under the Chairmanship of Collector will be formed to monitor and review the implementation of R&R plan.

(iii) The PIUs will submit quarterly resettlement implementation and monitoring progress reports to UPDCC for review and record.

9. Decision Power of High Power Committee

After the implementation of this Policy, it shall be under the authority of High Powered Committee (H.P.C.) constituted by government for Jamrani Dam Multipurpose Project, to redress problems related to functioning of this Policy or decide on matters regarding affected families which are not covered under this Policy.

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 14-11-2022 14:22:42

(H.C.Semwal)
Secretary.